चिंतन

राज्यपाल अपनी 'शक्ति' के दायरे में ही काम करें

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव का देश में पुराना इतिहास रहा है। ताजा मामला तमिलनाडु का है, जिसमें सुप्रीम अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को संवैधानिक आईना दिखाया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा रोके गए और राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए 10 विधेयकों को मंजूरी दे दी, साथ ही राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों के लिए समयसीमा भी तय कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा, 'दस विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का राज्यपाल का कदम गैरकानूनी और मनमाना है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को उस तारीख से स्वीकृत माना जाएगा जिस दिन इन्हें राज्यपाल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया था। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल को पुनः भेजे गए विधेयकों को पारित माने जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल किया है। समय सीमा निर्धारण का शीर्ष अदालत का अपनी तरह का पहला आदेश है। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा कार्य निर्वहन किए जाने को लेकर कोई स्पष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं है। कोई निश्चित समयसीमा न होने के बावजूद, अनुच्छेद 200 को इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता कि यह राज्यपाल को उन विधेयकों पर कार्रवाई नहीं करने की अनुमति देता है, जिन्हें उनके सम्मुख संस्तुति के लिए प्रस्तुत किया गया है। पीठ ने समयसीमा तय करते हुए कहा कि किसी विधेयक पर मंजूरी रोककर उसे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने की अधिकतम अवधि एक माह होगी। यदि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना सहमति को रोकने का फैसला किया है तो विधेयकों को तीन महीने के अंदर विधानसभा को लौटाया जाना चाहिए। समयसीमा का पालन नहीं होने पर अदालतों में न्यायिक समीक्षा होगी। समय सीमा के निर्धारण से विधानसभा व राजभवन के बीच जानबूझकर टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह सराहनीय पहल है। अतीत में अनेक बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति बनी है। गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका सवालों के घेरे में रहे हैं। अतीत में केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि राज्यों में चुनी हुई सरकार व राजभवन के बीच टकराव देखने को मिला है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब सबसे अधिक अनुच्छेद 356 कर दुरूपयोग देखने को मिला था। जनता पार्टी की अल्प समय की सरकार के समय भी राज्यपाल ने अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया था। तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ के मामले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य का निर्वाचित प्रमुख नहीं होने के नाते, राज्यपाल विधानसभा सत्र की वैधता पर संदेह नहीं कर सकते या सदन द्वारा पारित विधेयकों पर अपने फैसले को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। राज्यपाल को विधानसभा से पारित क़ानून पर सवाल-जवाब करने का अधिकार नहीं है। या तो वे विधेयक पर हस्ताक्षर करें या इस वापस करें। राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपालों द्वारा दबाए रखना 'आग से खेलने वाला' कदम है जो 'चिंता का विषय' है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल 'पूर्ण वीटो' या 'आंशिक वीटो' (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते। राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्ति के दायरे में ही काम करें तो गरिमा बनी रहेगी।

ऑनलाइन गेमिंग एप्स

मुरारी गुप्ता

अकर्मण्यता के जाल में युवा ऊर्जा

जयपुर जिले के कुणाल सिंह को कुछ सालों पहले आईपीएल देखने का चस्का लगा था। मोबाइल पर आईपीएल देखते-देखते वह इसी खेल से जुड़े ऑनलाइन गेम एप में रजिस्टर हो गया। अब क्रिकेट देखने के साथ एप पर खेलने का चस्का लगा। क्रिकेट से ज्यादा एप का शौक पैदा हुआ। कुछ पैसे खाते में आने लगे। उसका चस्का और बढ़ा। पैसा जीतने और हारने के खेल में उसने अपना घर गिरवी रख दिया। घर गिरवी रखने के बाद अब उसकी मानसिक हालात ऐसी है कि वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा है। आये दिन घर में पत्नी और बच्चों के साथ मार-पीट और जैसे-तैसे उधार लेकर नशा उसका रूटीन बन गया है। सड़क के ऊपर चमचमाते बोर्डों पर बड़ी खेल और फिल्म शख्सियतों की तस्वीरों के साथ दिखाए जा रहे रातों-रात अमीर होने के सपनों में देश के युवा किसी गहरी,अनजानी और अकर्मण्यता की सुनसान गली में धंसते जा रहे हैं। यह ऐसी संकरी गली है, जिसकी संकरी दीवारों पर चमचमाते ख्वाब उगे हुए हैं, मगर उनकी जड़ें उंगली भर भी नहीं है। यह लत की संकरी गली है, जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कई बार यह संकरी गली जीवन के बर्बाद होने और आत्महत्या के महासागर में भी मिल जाती है। तकनीक के विकास के साथ ऑनलाइन गेमिंग एप्स युवाओं के जीवन का दिलचस्प अंग बन चुके हैं। हालांकि, ये एप्स मनोरंजन और कौशल विकास के कुछ अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनके बढ़ते प्रभाव ने समाज में अनके तरह की चिंताएं पैदा कर दी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी, फैंटेसी गेम्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स ने नई पीढ़ी को आर्थिक और मानसिक रूप से बुरी तरह झकझोर दिया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन्हें युवा पीढ़ी अपना भाग्य समझती है, अपना सितारा समझती है, वे सितारे ही इन गेम्स को प्रमोट करते नजर आते हैं। इनमें कुछ तो पद्मश्री प्राप्त सितारे भी हैं। बड़ी सेलिब्रिटीज और क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा इनका प्रचार किए जाने से इन गेम्स को सामाजिक स्वीकृति मिल रही है। यह एक गंभीर मुद्दा है। ऑनलाइन गेमिंग एप्स का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव युवाओं की उत्पादकता पर पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि गेमिंग की लत नई पीढ़ी में एकाग्रता की कमी के साथ उनमें मानसिक तनाव और आक्रामकता को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में लॉटरी गैर कानूनी है। देश में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट-1998 लागू है। ये एक्ट साफ तौर पर लॉटरी खेलने पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि इसमें एक छूट दे रखी है कि अगर राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक लॉटरी चलाना चाहें, तो ऐसा कर सकती हैं। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी लॉटरी चल रही हैं, लेकिन फैंटेसी गेम्स के नाम पर अब कई ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, जिसे वैधानिक छूट भी प्राप्त है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इन फैंटेसी गेम एप्स पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। इन गेम्स को कौशल आधारित खेल बताया जाता है, जिसमें गेम खेलने वाला कथित तौर पर अपने कौशल का उपयोग कर टीम बनाता है, और गेम खेलता है। ऑनलाइन गेमिंग के साथ अंतर केवल इतना है कि यह अब डिजिटल हो गया है और बड़ी-बड़ी हस्तियां इसे प्रमोट कर रही हैं। विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि ये गेम्स मनोरंजन और कौशल के लिए हैं, लेकिन असल में ये जुए को ही बढ़ावा देते हैं। युवाओं पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे अपने आदर्शों को फॉलो करते हैं। बड़ा सवाल क्या यह है कि क्या यह नैतिक रूप से उचित है? बड़ी हस्तियों का समाज पर प्रभाव होता है। यदि वे नैतिक जिम्मेदारी निभाएं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। राज्य को ऑनलाइन गेमिंग एप्स को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। गेमिंग रेगुलेशन बनाकर एक स्पष्ट कानून बनाना चाहिए जिससे इन एप्स की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। सेलिब्रिटीज को ऐसे गेम्स के प्रचार से रोका जाए। इन प्लेटफॉर्म्स पर 21 वर्ष से कम आयु के लोगों की भागीदारी पर रोक लगनी चाहिए। युवाओं को सिखाया जाए कि कैसे सही तरीके से निवेश किया जाए और आर्थिक नुकसान से बचा जाए। समाज के स्तर भी जागरूकता की आवश्यकता है। माता-पिता को बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचने के उपायों पर चर्चा होनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग एप्स, विशेष रूप से सट्टा आधारित खेल, समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। यदि सरकार और समाज ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, तो यह समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। एक पूरी पीढ़ी अकर्मण्यता की शिकार हो सकती है, जिसका खामियाजा अंततः देश और समाज को होगा।

(लेखक उपन्यासकार और डीडी न्यूज में संपादक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

विश्लेषण

ऋतुपर्ण दवे

ट्रंप के टैरिफ से सकते में दुनिया

उनके व्यवसाय को जापानियों से मिली चुनौतियों के चलते 1990 के दशक की घटना है जिससे क्रुद्ध ट्रंप अब पलटवार कर रहे हैं। यह अर्से से उनके मन में पाला हुआ मंसूबा है। वास्तव में ट्रंप के मन में जापानियों की प्रतिभा को लेकर पनपा ईर्ष्या भाव ही आज उनके टैरिफ की असल वजह है। वो मानते हैं कि जब मुक्त व्यापार अस्तित्व में नहीं था तब जापान, अमेरिका के बाजार में जबरदस्त पैठ बना रहा था, लेकिन अपने यहां व्यापार करना असंभव सा कर दिया था। बस यही टीस बिजनेसमैन ट्रंप को घर कर गई। कहीं बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका ही हाशिए पर न चला जाए? अच्छा होता कि इतनी सी बात को तो ट्रंप समझ पाते!

ट्रंप के मन में टैरिफ को लेकर आया विचार एकाएक नहीं है। उनके व्यवसाय को जापानियों से मिली चुनौतियों के चलते 1990 के दशक की घटना है, जिससे क्रुद्ध ट्रंप अब पलटवार कर रहे हैं। यह अर्से से उनके मन में पाला हुआ मंसूबा है। वास्तव में ट्रंप के मन में जापानियों की प्रतिभा को लेकर पनपा भाव ही आज उनके टैरिफ की असल वजह है। वो मानते हैं कि जब मुक्त व्यापार अस्तित्व में नहीं था तब जापान, अमेरिका के बाजार में जबरदस्त पैठ बना रहा था, लेकिन अपने यहां व्यापार करना असंभव सा कर दिया था। बस यही टीस बिजनेसमैन ट्रंप के मन में घर कर गई और उनके मन में एक गांठ बन गई। हालांकि उसी दौर में उन्हें नकदी की जबरदस्त जरूरत हुई और मजबूरन जापान की ओर आस भरी निगाहों से देखने लगे, लेकिन ट्रंप 1980 के दशक से ही इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि मशहूर जापानी निवेशक रॉकफेलर अमेरिकी ब्रांड्स और संपत्तियों के अधिग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे उनके नजरिये में ऐसा बदला जो आज आयात पर टैरिफ के सच के रूप में हम सबके सामने है। यहीं से उनके दिमाग में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का मंसूबा भी बना और वो लंबी रणनीतियों और विचारों को लोगों से सार्वजनिक मंच पर जाहिर भी करने लगे।

वर्ष 1987 में ट्रंप की किताब 'ट्रंप- द आर्ट ऑफ द डील' में अमेरिकी व्यवसाय पर उनकी विस्तृत सोच के साथ मंशा भी झलकती है। लोकप्रिय द ओपरा शो के होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ भी तभी एक लाइव कार्यक्रम में उनका साफ-साफ कहना कि अमेरिकी विदेश व्यापार नीति को वो कैसे सबसे अलग तरीके से संभालेंगे और इससे अमेरिका के लिए सही कीमत वसूलेंगे उनका रणनीतिक शो था। इतना ही नहीं ट्रंप ने अपने विचारों को एक खुली चिट्ठी के रूप में अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय तीन समाचार पत्रों में भी बतौर विज्ञापन प्रकाशित करवाया, जिसमें उनके एक लाख डॉलर खर्च हुए थे। मतलब उनका नजरिया पहले ही साफ हो चुका था। यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सोच और वास्तविकता में तब और अब में काफी फर्क है। आज अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी चीन है न कि जापान। 1990 के दशक के युवा रियल एस्टेट डेवलपर डोनाल्ड ट्रंप की सोच आज भी वही है, जबकि धरातल पर समय के साथ काफी कुछ बदल गया है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं। बतौर राष्ट्रपति और व्यवसायी ऐसी सोच अंतरराष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकती है। जैसा कि साफ झलक रहा है, इससे अमेरिका में विदेशी व्यापारिक निवेश घटेगा जिसका अंतरराष्ट्रीय गठबंधन पर भी असर पड़ेगा। सौ देशों की अमेरिकी 'डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ' वाली सूची में भारत भी शामिल है, जिस पर 26 प्रतिशत टैरिफ है जो कई एशियाई देशों की तुलना में कम है। भले ही भारत पर इसका प्रभाव अभी कम पड़े, लेकिन भविष्य को लेकर इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं कि कब और कितना बढ़ जाए? इधर चीन ने भी अमेरिका पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जिस पर तिलमिलाए ट्रंप ने 9 अप्रैल तक

इसे वापस नहीं लेने पर 50 प्रतिशत टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा।

वहीं दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की हालिया सूची बताती है कि ट्रंप के करीबी मस्क की कुल नेटवर्थ 300 अरब डॉलर के नीचे चली गई है। जनवरी 2025 से अब तक 135 अरब डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठा चुके हैं। इसी सोमवार को अमेरिकी बाजार में आई गिरावट से एलन मस्क को करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि बीते हफ्ते दो दिन में ही मस्क के 31 अरब डॉलर डूब गए। इस तरफ ट्रंप के अघोषित टैरिफ वार से विश्व में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों की सूची में मस्क छठे क्रम पर आ चुके हैं। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर आसार बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं।

नए बजट में ग्रामीण विकास के लिए किया गया 1,88,754 करोड़ तथा किसान कल्याण के लिए बीते बरस की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा यानी 1.71 लाख करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान बताता है कि हमने अपने आर्थिक मोर्चों पर कैसी तैयारी कर रखी है। यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही 02 अप्रैल 2025 को अमेरिका का मुक्ति दिवस बता रहे हों, लेकिन जिस तरह से दुनियाभर के शेयर बाजार धराशायी हुए, उससे कुछ अलग ही समझ आ रहा है। ट्रंप भले ही कहें कि हमारे करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला उनका आदेश उनकी ईर्ष्या, खीझ और अजीब सी दूरगामी सोच का ही दर्शाता है। इसमें कोई संदेह नजर नहीं आ रहा है।

अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर यूरोपीय यूनियन के टैरिफ के लिए 9 अप्रैल का इंतजार करना होगा, जिस पर मतदान होना है। यदि यह भी जस का तस जैसे रहा तो आसार और बिगड़ सकते हैं। पहले ही दुनियाभर के शेयर बाजार धड़ाम हो चुके हैं और खुद अमेरिका भी इसके असर से अछूता नहीं है।

ट्रंप का अमेरिका में ही विरोध होने लगा है। उन्हें न केवल तानाशाह, बल्कि अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करने वाला सनकी तक कहा जाने लगा है। सभी पचास राज्यों में 150 संगठनों का 1200 से ज्यादा प्रदर्शनों में हजारों का जुटना बताता है कि चिंता कितनी गंभीर है। 'हैंड्स ऑफ' नाम के इस प्रदर्शन में शनिवार को हजारों लोग जुटे। 2017 में महिला मार्च और 2020 में ब्लैक लाइव्स आन्दोलन के बाद ट्रंप का ऐसा भारी विरोध हो रहा है। इसके साथ ही एक अहम बात यह भी है कि एलन मस्क का दखल भी अमेरिकियों को पसंद नहीं आ रहा है। उन पर नौकरी में छंटनियों के मंसूबों सहित सत्ता हथियाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इधर भारत और खुद अमेरिका सहित दुनियाभर के शेयर बाजारों में बीते सोमवार को खुलते ही जबरदस्त तो कहीं ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। निश्चित रूप से इसे शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है।

व्यावसायिक हितों और तमाम दूसरे मामलों में सतर्क दुनिया ने एकजुट होकर ट्रंप को जवाब देना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक ट्रेड वार की आशंका बढ़ गई है। काश ऐसा नहीं होता और डोनाल्ड ट्रंप समझदारी और विवेक से काम लेते। दुनिया में कम से कम खुशहाल इंसानियत के लिए तो सौदेबाजी से बचा जाए, लेकिन ट्रंप नहीं माने और बदली हुई परिस्थितियों में बाकी सभी एकजुट हो आपदा में अवसर तलाशने लगें तो कहीं अमेरिका ही हाशिए पर न चला जाए? अच्छा होता कि इतनी सी बात को तो ट्रंप समझ पाते!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

आनंदमय कोष की प्राप्ति

संकलित

दर्शन

अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष के पश्चात प्रवेश होता है आनंदमय कोष में। अन्न से उत्पन्न यह शरीर त्वचा, मांस, चर्म और रुधिर युक्त है। यह आत्मा नहीं है। प्राणमय कोष भी आत्मा नहीं, क्योंकि प्राण वायु के रूप में शरीर में आता-जाता है। मनोमय कोष व्यक्ति को विषयों में आसक्त करता है और आत्मभाव में स्थित नहीं होने देता है, इसलिए यह भी आत्मा नहीं है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सुख-दुख, जन्म-मरण, लाभ-हानि विज्ञानमय कोष में रहते हैं, इसलिए यह भी आत्मारूप आनंदमय कोष नहीं हो सकता है। श्रीरामचरितमानस में मात्र श्रीभरत इन कोषों का उपादान रूप में उपयोग करते हुए भी आनंदमय कोष हैं, जिनका राम से सर्वथा ऐक्य है। सारा संसार भरत की इस महत भूमिका के कारण ही दीपावली का प्रकाश पर्व मनाता है।दीपावली सनातन संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। पूरा कार्तिक माह घरों तथा व्यापारिक संस्थानों की स्वच्छता व सजावट में लग जाता है। दीपावली के इस दृष्ट बाह्य और लौकिक रूप में कौन-सा आंतरिक तत्व छिपा है, जिसे जानने के पश्चात दीपावली हमें हमारे मूल वैदिक परंपराओं की नींव से जोड़ देती है। श्रीरामचरितमानस में भक्ति के सोपानों का वर्णन अरण्यकांड में है, जिसका विश्लेषण भगवान श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण की जिज्ञासा-समाधान में करते हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के सोपानों का वर्णन मानस के अंतिम उत्तरकांड में काकभुशुंडि जी गरुड़ जी के समक्ष करते हैं।

अनुकरण अच्छा, अंधानुकरण नहीं

संकलित

प्रेरणा

एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों में बड़ी मैत्री थी। जहां जाते साथ-साथ जाते। एक बार दोनों एक धनी व्यक्ति के साथ उसकी ससुराल गए। किसी धनी व्यक्ति के साथ रहने का यह पहला अवसर था, सो वे अपने धनी मित्र की प्रत्येक गतिविधि ध्यान से देखते रहे। गरमियों के दिन थे। रात में उक्त युवक के लिए शयन की व्यवस्था खुले स्थान पर की गई। पर्याप्त शीतलता बनी रहे इसके लिए वहां चारों तरफ जल छिड़का गया और रात को ओढ़ने के लिए बहुत ही हलकी मखमली चादर दी गई। अन्य दोनों युवकों ने इतना ही जाना कि इस तरह का रहन-सहन बड़प्पन की बात है। कुछ दिन बाद उन्हें भी अपनी-अपनी ससुराल जाने का अवसर मिला पर वे दिन गरमी के न होकर शीत के थे। नकल तो नकल ही है। दोनों ने अपना बड़प्पन जताने के लिए बिस्तर खुले आकाश के नीचे लगवाया, लोगों के लाख मना करने पर भी उन्होंने बिस्तर के आस-पास पानी भी छिड़कवाया और ओढ़ने के लिए कुल एक-एक चादर वह भी हलकी ली। रात को पाला पड़ गया सो दोनों को निमोनियां हो गया। चिकित्सा कराई गई तब कठिनाई से जान बची। इतनी कथा सुनाने के बाद गुरुजी ने शिष्य को समझाया–' तात ! उचित और अनुचित का विचार किए बिना जो औरों का अनुकरण करता है वह मूर्ख ऐसे ही संकट में पड़ता है जैसे वह दोनों युवक।' !

चरक अनुष्ठान

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंगाली कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन मनाए जाने वाले चरक अनुष्ठान से पहले देवी काली की पोशाक पहने एक भक्त।

आज की पाती

व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व ही स्थिर व्यक्तित्व

आज व्यक्ति दो व्यक्तित्व का जीवन जी रहा है। एक उसका बाहरी व्यक्तित्व है जिसे उसके आसपास का वातावरण नियंत्रित करता है। यह व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। बाहरी वातावरण के बदलने से यह भी बदल जाता है। उदाहरणतः व्यक्ति जब किसी धार्मिक या आध्यात्मिक वातावरण के संपर्क में आता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में सात्विकता को अनुभव किया जा सकता है और जब बाहरी वातावरण भौतिकवादी होता है तो व्यक्तित्व में भी भौतिकता दृष्टिगोचर होती है। दूसरा है आंतरिक व्यक्तित्व, जो बाहरी वातावरण के कारकों से अप्रभावित रहता है। व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व ही उसका एक स्थिर व्यक्तित्व हो सकता है। आज हर कोई काफी कुछ होने के बावजूद असंतुष्ट है।

– पवन यादव, बालोद

करंट अफेयर

11वें योग दिवस की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उलटी गिनती शुरू

न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए 75 दिन की उलटी गिनती की औपचारिक शुरुआत हुई। न्यूयॉर्क स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने "योग दिवस में 75 दिन शेष" नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम 21 जून को दुनिया भर में मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का हिस्सा है।

बारिश भरी सोमवार की सुबह, मैनहट्टन और न्यू जर्सी के विहंगम दृश्यों के बीच यह योग सत्र 1,776 फुट ऊंची वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 102वीं मंजिल पर स्थित 'वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी' में संपन्न हुआ। भारत के वाणिज्य दूत बिनय प्रधान ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह लगभग एक घंटे का योग सत्र अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिनों की उलटी गिनती के उत्सव का प्रतीक है। 'आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन' की प्रतिष्ठित योग प्रशिक्षक रुचिका लाल ने इस विशेष सत्र का नेतृत्व किया जिसमें उप वाणिज्य दूत विशाल हर्ष, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य, छात्र और योग प्रेमी शामिल हुए। भारत के वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 102वीं मंजिल से बिनय प्रधान ने आत्मिक योग सत्र के साथ उलटी गिनती की शुरुआत की।'

ऑफ बीट

विलुप्त प्रजाति 'डायर वुल्फ' से मिलते-जुलते भेडिये मिले

विलुप्त हो चुके 'डायर वुल्फ' से मिलते-जुलते, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित तीन भेड़िये अमेरिका में एक अज्ञात सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं।

यह जानकारी लुप्त प्रजातियों को वापस लाने के लिए काम कर रही कंपनी ने दी। 'कोलोसल बायोसाइंसेज' के शोधकर्ताओं ने बताया कि भेड़ियों के इन शावकों की उम्र तीन से छह महीने के बीच है, इनके लंबे एवं सफेद बाल हैं, मांसल जबड़े हैं और इनका वजन लगभग 80 पाउंड है जो उनके वयस्क होने पर 140 पाउंड तक पहुंच जाएगा। 'डायर वुल्फ' 10,000 वर्ष से अधिक समय पहले विलुप्त हो गए थे।स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने कहा कि इस नवीनतम प्रयास का अर्थ यह नहीं है कि निकट भविष्य में 'डायर वुल्फ' उत्तर अमेरिका के घास के मैदानों में फिर से नजर आएंगे। बफेलो विश्वविद्यालय के जीवविज्ञानी विन्सेंट लिंच ने कहा कि 'अब आप बस इतना ही कर सकते हैं कि किसी जीव को सतही तौर पर किसी और जीव जैसा बना दें'', लेकिन विलुप्त प्रजातियों को पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। लिंच इस शोध में शामिल नहीं थे। वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों से प्राचीन डीएनए की जांच करके 'डायर वुल्फ' के विशिष्ट लक्षणों के बारे में पता लगाया।

X ट्रेंड f

परिवर्तनकारी सुधार किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए जीवन को और आसान बनाने के लिए पिछले एक साल में कई परिवर्तनकारी सुधार किए है। इन सुधारों के कारण दावों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

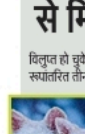

- मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री

इजराइली बंधकों का दर्द सुना

मैं फिर से इजरायली बंधकों के रिश्तेदारों से मिला और उनका सुना। मैंने उनके क्रूर अपहरण और भयानक व्यवहार के लिए हमास की निंदा की। मैंने सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने के अपने आह्वान को दोहराया।

-एंटोनियो गुतारेस, यूएन महासचिव

भाजपा की सत्ता की प्यास

भाजपा की सत्ता की प्यास के आगे कोई प्यास महत्व नहीं रखती है। ह्रदयहीन भाजपा को मन में दयाभाव रखने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसीलिए जिस कर्मचारी ने प्यासे जानवरों को पानी पिलाया, उसी को भाजपा सरकार ने निलंबित कर दिया।

-अखिलेश यादव, सपा प्रमुख

मुंबई कभी नहीं सोता

अभी भी हम मुंबई में एक ऐसा शहर पा सकते हैं जो कभी नहीं सोता और बड़े सपने देखता है, अजनबी जो आपकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, देश का सबसे बढ़िया खाना, एक ऐसा समुद्र जो आपकी उथल-पुथल को शांत कर देगा।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोनः 9253681019-20

ई-मेल : haribhoomi@gmail.com

वेब-साइट : www.haribhoomi.com

कल्पमेधा

जो शत्रु तुम्हारा विरोध करते हैं, उनसे मत डरो।
उन मित्रों से डरो जो तुम्हारी खुशामद करते हैं।

- जनरल आबूगोन

अधिकार अनधिकार

राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच तनातनी पुरानी बात है, पर यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्यपाल को खरी-खरी सुनाते हुए उसके संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र की सीमारेखा याद दिलाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा कि आप संविधान की शपथ लेते हैं। आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से उन सभी राज्यपालों को संबोधित है, जो चुनी हुई सरकारों के कामकाज में नाहक बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने करीब सवा साल पहले विधानसभा में बारह विधेयक पारित कराए थे। उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा, पर उन्होंने उसमें से दो विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और दस को वापस लौटा दिया। विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर उन विधेयकों को दुबारा पारित करा लिया गया। मगर राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय अपने पास दबा कर रख लिया। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, तो उसने राज्यपाल के अधिकारों को रेखांकित करते हुए दुबारा पारित किए गए विधेयकों को मंजूरी देने और मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर उनकी तकनीकी अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया था। मगर राज्यपाल ने उस निर्देश को भी नजरअंदाज कर दिया।

वही मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो दो न्यायाधीशों की पीठ ने उस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे सभी विधेयक उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे, जिस दिन उन्हें दुबारा पारित किया गया था। राज्यपाल को तय सीमा के अंदर, मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। न्यायालय की इस सख्त टिप्पणी की वजहें स्पष्ट हैं। पिछले कुछ वर्षों में न केवल तमिलनाडु, बल्कि उन तमाम राज्यों में, जहां केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, राज्यपाल अक्सर मुख्यमंत्री के साथ किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह उलझते देखे जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, दिल्ली, झारखंड आदि राज्यों में अनेक मौकों पर चुनी हुई सरकार और राज्यपाल के अधिकारों को लेकर अप्रिय तकरार देखी जा चुकी है। पांच राज्यों की सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि राज्यपाल उनके विधायी कामकाज में बेवजह अड़ंगा डालते हैं, विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के बजाय उन्हें दबा कर बैठ जाते हैं। तब भी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों को उनके पद की गरिमा और सांविधानिक दायित्वों का ध्यान दिलाया, मगर उनके कामकाज में कोई बदलाव नजर नहीं आया।

यह प्रकट है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और जबसे इस पद पर सक्रिय राजनीति में रह चुके लोगों को नियुक्त किया जाने लगा है, वे राज्यपाल का दायित्व निभाने के बजाय किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह दलीय प्रतिबद्धता जाहिर करते देखे जाते हैं। पिछले दस वर्षों में यह प्रवृत्ति कुछ अधिक बढ़ी है। जहां भी केंद्र के विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करने का प्रयास करते देखे जाते हैं। राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकारों के कामकाज में सहयोग और उन्हें सांविधानिक मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करने तक है, न कि राजनीतिक गतिविधियों में अनधिकार प्रवेश कर केंद्र की इच्छाओं को पोषित करना। सर्वोच्च न्यायालय की ताजा टिप्पणी इसी प्रवृत्ति पर प्रहार है। पर, राज्यपाल इसे कितनी गंभीरता से लेंगे, कहना मुश्किल है।

मनमानी के मुकदमे

उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से कानून का शासन स्थापित करने के दावे खूब बढ़-चढ़ कर करती रही है। मगर जमीन पर वे दावे खोखले ही निकलते रहे हैं! अपराध के खिलाफ उसकी कार्रवाई की वास्तविकता यह भी है कि नियम-कायदों के उल्लंघन की प्रकृति होती कुछ और है, लेकिन उसे कानूनी दस्तावेजों में किसी और रूप में दर्ज किया जाता है। ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस रवैये के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया, जिसमें दीवानी विवादों को फौजदारी मामलों में बदला जा रहा है। अदालत की पीठ ने इसे 'कानून के शासन का पूरी तरह पतन' करार देते हुए कहा कि यह प्रथा गलत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

अदालत की यह टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आए दिन कानून का शासन लागू करने को लेकर जिस तरह के दावे किए जाते रहे हैं, उस पर वास्तव में अमल करने के मामले में पुलिस किस तरह मनमानी करती है और विवादों को कैसा रूप दिया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून-व्यवस्था के नाम पर की जाने वाली ऐसी मनमानी के बूते क्या किया जा रहा है और क्या दर्शाया जा रहा है। केवल पैसा न लौटाने को क्या ऐसे कानूनी दायरे में रखा जा सकता है, जिसे अपराध घोषित कर दिया जाए और उसी मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाए? अदालत ने इस पर तल्ख रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर रोज दीवानी मामलों को फौजदारी के मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है, सिर्फ लंबा वक्त लगने की दलील देकर दीवानी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर दी जाएगी और आपराधिक कानून लगा दिया जाएगा। सवाल है कि क्या इसी तरह का रवैया अपना कर राज्य सरकार अपराधों पर काबू पाने का दावा कर रही है। अगर खुद पुलिस महकमे और उसके अधिकारी नियमों को इस तरह ताक पर रख रहे हैं, तो आपराधिक मामलों में उनकी कार्रवाइयों को कितना विश्वसनीय माना जाएगा?

अंतरिक्ष में इंटरनेट की बाजीगरी

'इंटरनेट इन इंडिया रपट 2024' के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 88.6 करोड़ थी। इसमें सालाना वृद्धि दर जोड़ने से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल यानी 2025 के अंत तक देश में 90 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे।

अभिषेक कुमार सिंह

आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश या समाज होगा, जो इंटरनेट के बिना जीने की कल्पना कर सके। सिर्फ शहरी नहीं, बल्कि निर्जन और दुर्गम इलाकों में तो इंटरनेट को और भी बड़ी जरूरत बताया जाता है और दावा किया जाता है कि इसके न होने के कारण वहां विकास ठप पड़ा है। जिस तरह डिजीटलीकरण पर जोर बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अगले बीस वर्षों में जो लोग डिजिटल माध्यमों से नहीं जुड़े होंगे, उनकी पहचान ही धुंधली हो जाएगी। साथ ही, अब दुनिया 2जी, 3जी और 4जी से आगे निकल कर 5जी या कहें कि तेज गति वाले इंटरनेट के दौर में आ चुकी है, जहां कई काम पलक झपकते पूरे कर लिए जाते हैं। हालांकि इंटरनेट में तेजी लाने के इस किस्से में दिमाग को दिग्भ्रमित करने वाली समस्याओं का उल्लेख किया जाता है, जिसमें लोग इंटरनेट का सार्थक इस्तेमाल करने के बजाय अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा व्यर्थ की सामग्री (रील आदि) देखने-सुनने में बिता देते हैं, तो भी कई महत्त्वपूर्ण कार्यों में तेज इंटरनेट की जरूरत को अनिवार्य बताया जाता है।

तेज गति वाले इंटरनेट की जरूरत का संदर्भ भारत की दो निजी दूरसंचार कंपनियों का अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से हुए समझौते से जुड़ता है, जिसमें उपग्रहों से संचालित बेहद तेज गति वाले इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाने की पहल की जा रही है। हालांकि इस सुविधा से आम लोगों का जीवन स्तर बढ़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देश में मौजूदा दरों और इंटरनेट तक गरीबों की पहुंच के तथ्यों की रोशनी में यह कवायद कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली मुहिम ज्यादा लगती है।

बहरहाल, जहां तक बात देश की दो दूरसंचार कंपनियों के एलन मस्क की कंपनी के साथ हुए समझौते की है, तो इस बारे में एक नजरिया यह है कि इससे देश के करोड़ों लोग तेज गति वाले इंटरनेट की सुविधा हासिल कर सकेंगे। इसका कारण यह है कि स्टारलिंक का अंतरिक्ष में तैनात हजारों उपग्रहों का संजाल शहरों-कस्बों से लेकर दूरदराज के ग्रामीण और बेहद दुर्गम इलाकों तक पहुंच सकेगा, जहां अभी इंटरनेट का कोई जरिया नहीं है। मौजूदा स्थिति यह है कि स्टारलिंक के सात हजार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात हैं, तो पारंपरिक तरीके से उपलब्ध होने वाले इंटरनेट की तस्वीर को पलट कर रख देंगे।

मस्क की स्टारलिंक के जाल की बात करें, तो इस समय यह दुनिया के सौ देशों में उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका है। इसके बरक्स भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या देखें, तो लगता है कि स्टारलिंक से भारतीय कंपनियों का समझौता उपभोक्ताओं के एक विशाल वर्ग की जरूरतों को साधने के मुकाबले कारोबारी ज्यादा है। इस पहलू को 'इंटरनेट इन इंडिया रपट 2024' के आंकड़ों से समझा जा सकता है। इस रपट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में सक्रिय इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 88.6 करोड़ थी। इसमें सालाना वृद्धि दर को जोड़ कर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल यानी 2025 के अंत तक देश में 90 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होंगे।

इन आंकड़ों से यह भी पता चला है कि शहरों के मुकाबले अब ग्रामीण

अंचलों में इंटरनेट का तेज प्रसार हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि फिलहाल ग्रामीण इलाकों में 48.8 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो देश की कुल इंटरनेट आबादी का 55 फीसद है। फिर भी आकलन कहते हैं कि देश की 40 फीसद जनता के पास इंटरनेट तक पहुंच का कोई साधन

> **शहरों के मुकाबले अब ग्रामीण अंचलों में इंटरनेट का तेज प्रसार हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि फिलहाल ग्रामीण इलाकों में 48.8 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो देश की कुल इंटरनेट आबादी का 55 फीसद है। फिर भी आकलन कहते हैं कि देश की 40 फीसद जनता के पास इंटरनेट तक पहुंच का कोई साधन नहीं है। इसके कई कारण हैं। जैसे, खरीद क्षमता न होने के कारण स्मार्टफोन हासिल न होना और बिजली का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं होना। एक और कारण यह है कि ऐसे लोग देश के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं, जहां पारंपरिक तरीकों से इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल रहा है।**

नहीं है। इसके कई कारण हैं। जैसे खरीद क्षमता न होने के कारण स्मार्टफोन हासिल न होना और बिजली का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं होना। एक और कारण यह है कि ऐसे लोग देश के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं, जहां पारंपरिक तरीकों से इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल रहा है।

इंटरनेट की पहुंच देने के पारंपरिक तरीकों में 'सेल्युलर टावर नेटवर्क' और 'फाइबर केबल नेटवर्क'- दो ही उपाय हैं। मौजूदा वक्त में इन्हीं दोनों तरीकों से दूरसंचार कंपनियां अपने ग्राहकों तक इंटरनेट पहुंचाती हैं। इनमें इमारतों की छतों पर लगे टावरों से नजदीकी इलाकों में ब्राडबैंड सेवा दी जा सकती है। आमतौर इसकी गति धीमी होती है। इसके मुकाबले फाइबर केबल से अपेक्षाकृत तेज गति वाला इंटरनेट मिलता है। लेकिन दूरदराज और पहाड़ी-रेगिस्तानी दुर्गम इलाकों में भूमिगत फाइबर केबल बिछाने या सेल्युलर टावर लगाने पर होने वाले खर्च की भरपाई तभी हो सकती है, जब उनके जरिए इंटरनेट सेवाएं लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो। इसके मुकाबले दुनिया के किसी भी हिस्से तक सैटेलाइट ब्राडबैंड की सुविधा देने के लिए टावर लगाने या फाइबर केबल बिछाने की जरूरत नहीं है, हालांकि उपग्रहों का नेटवर्क कायम करने का खर्च पारंपरिक नेटवर्क के मुकाबले दस गुना ज्यादा महंगा है। इसलिए यहां असली सवाल कंपनी की लागत और उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत का पैदा होता है।

फिलहाल मस्क की कंपनी ने 'लो अर्थ आर्बिट' (एलईओ) सैटेलाइट तकनीक के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने के वास्ते अंतरिक्ष में उपग्रहों का संजाल बिछा रखा है। इन उपग्रहों से मिलने वाले संकेत को जमीन पर घरों-दफ्तरों या चलते-फिरते वाहनों तक में डिश और राउटर लगा कर आसानी से पकड़ा और तेज गति वाला इंटरनेट हासिल किया जा सकता है। फिलहाल इसे आजमाने की कीमत काफी ज्यादा है। अनुमान है कि भारत में इसके लिए ग्राहकों को साढ़े तीन से चार हजार रुपए प्रतिमाह चुकाने पड़ सकते हैं। इस आकलन का आधार पड़ोसी देश भूटान में स्टारलिंक द्वारा दी जा रही सेवाओं का शुल्क है। वहां 23 एमबीपीएस की गति वाले इंटरनेट के लिए हर महीने तीन हजार नॉंग्त्रुम (भूटानी मुद्रा) चुकाने होते हैं, जबकि 110 एमबीपीएस की गति वाले इंटरनेट कनेक्शन के लिए 4200 नॉंग्त्रुम चुकाने होते हैं। भारतीय रुपए और भूटानी मुद्रा की कीमत लगभग एक जैसी है। इसलिए माना जा सकता है कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी तकरीबन इतनी ही रकम चुकानी होगी।

ऐसे में प्रश्न है कि पहले से ही महंगी हो चुकी इंटरनेट सेवाओं से त्रस्त हमारे उपभोक्ता क्या तेज गति वाले इंटरनेट के लिए और ज्यादा रकम चुका सकते हैं? साथ ही, जिन दूरदराज और दुर्गम इलाकों में सैटेलाइट ब्राडबैंड देने की बात हो रही है, वहां की ज्यादातर जनता गरीब है। वे सामान्य इंटरनेट का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है। इंटरनेट की अच्छी गति पाना हर नागरिक का अधिकार हो सकता है, जिस ढंग से लोगों की इंटरनेट पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है, उसमें यह और जरूरी हो गया है। मगर यहां ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में पहले ही उपभोक्ताओं से ज्यादा शुल्क लेना शुरू कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में देश की गरीब और मध्यवर्गीय जनता को अत्यधिक महंगे इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए बाध्य किया जाता है, तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में लोग फिर से इंटरनेट-विहीन दिनचर्या की ओर मुड़ सकते हैं, भले ही उन्हें इसका खमियाजा क्यों न उठाना पड़े। फिलहाल हमें इंटरनेट सेवाओं के बदलते परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए।

छूटती दहलीजें

दुनिया मेरे आगे

विप्रम

बच्चे जब कुछ समझने लगते हैं तो आमतौर पर घर-घर खेला करते हैं। बचपने में वे अपने बनाए घर यानी मिट्टी-रेत के घरौंदों के लिए आपस में लड़ भी पड़ते हैं। एक-दूसरे के घर तोड़ दिया करते हैं। सब लड़कपने में कभी बचपने में भी। मगर बड़े होते ही तब बहुत कुछ समझने लगते हैं, घर की अहमियत, उसके मतलब और घर के सदस्यों का महत्त्व भी जानने लगते हैं। साथ ही कई बार अपना हक भी बताने लगते हैं। पूरे घर को सिर पर उठा लेना शायद यहीं से शुरू हुआ हो। मगर इस बीच इस बात का अहसास भी घर में जीवन का माहौल बनाता रहता है, घर के सभी लोग खुशहाली और भविष्य की उम्मीद के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का निर्वाह करते हैं।

उधर शहरों में आने वाले अधिकतर लोग भले ही गांव के घरों को छोड़ कर आए हों या उन्हें बेच कर, पर असल में ये आए तो हैं अपने सपनों को साकार करने। तब ये परम आवश्यक भी दिखता है कि घर के बदले घर बन जाए। रहने से घर की अहमियत होती है। फिर भी यहां-वहां बहुतों को ऊंची इमारतों में बने फ्लैटों में रहते देखा जाता है, जहां प्रायः अपने कम दिखते हैं और बेगाने अधिक। आधे-अधूरे रिश्तों में दिखते लोग अपनी तरह की जिंदगी जीते हैं। देखा जाए तो इनकी एक अलग पहचान होती है, संस्कृति और समाज अलग। इनके सब काम अब आधुनिक जीवनशैली के बीच आमतौर पर आनलाइन होते हैं। वाट्सऐप पर रात-दिन इस तरह रहने वाले लोग करें तो करें क्या और कैसे? वक्त की 'कद्रदानी' ने इन्हें एक तरह से वक्त का ही गुलाम बना लिया है। यहां बात उन घरों की चल रही है जहां 'हम दो हमारे एक या दो' हुआ करते हैं। इन लोगों का खाना-पीना ज्यादातर बाहर होटल-रेस्तरां में होता है। घरों पर इंतजार करने वाला कोई नहीं होता, न इन्हें किसी का इंतजार करना होता है। इस जीवनशैली में रहने वाले ज्यादातर लोगों को यह स्थिति सताती नहीं है, क्योंकि वे इसके अभ्यस्त हो चुके होते हैं।

कभी-कभी समझ से परे लगता है कि स्त्रियां सारी जिंदगी गुजार देती हैं अपनी बस पति, बच्चे-पोतों में रम कर, पर वे अपने घर-मायके को कभी नहीं भूलतीं। जब तब या कभी किसी बात-बेबात पर या फिर गुस्से में अपनी मां का घर याद हो आता है। घर का बखान करने का अभिप्राय यहां यह है कि आज के दौड़ते-भागते समय में बहुत से लोगों ने घर को दरकिनार कर दिया है। जो काम पहले घरों से शुरू हुआ करते थे, अब बाहर से बाहर हो रहे हैं। बल्कि बाहर ही हो रहे हैं। कई जगहों पर व्यवस्थागत रूप से। शादियां या फिर पार्टियां घर को छोड़ कर भव्य समारोह भवनों में हुआ करती हैं। पैसे के आगे रिश्ते-नाते, रीति-रिवाज यहां तक कि अपनी परंपराएं भी बौनी हो गई लगती हैं। घर को भुला दिया जा रहा है। घर की देहरी पर कभी बारात आती थी या लड़की की विदाई घर से होती थी। अब ये सब बिसरा दिया गया है। शुरू में बच्चों में घर-घर खेलने की बात केवल यह जताने के लिए की गई थी कि घर का अपना कितना महत्त्व और रुतबा होता है।

> **आज के दौड़ते-भागते समय में बहुत से लोगों ने घर को दरकिनार कर दिया है। जो काम पहले घरों से शुरू हुआ करते थे, अब बाहर से बाहर हो रहे हैं। बल्कि बाहर ही हो रहे हैं। कई जगहों पर व्यवस्थागत रूप से। शादियां या फिर पार्टियां घर को छोड़ कर भव्य समारोह भवनों में हुआ करती हैं। पैसे के आगे रिश्ते-नाते, रीति-रिवाज यहां तक कि अपनी परंपराएं भी बौनी हो गई लगती हैं।**

महज चारदिवारी में बने स्थान को घर नहीं कह सकते। उसके लिए उसकी छत मतलब मान-मर्यादा होती है। समय-समय पर उसे उचित सम्मान देना पड़ता है। एक गरिमामय उपस्थिति के लिए उसे उसी के रंग में तैयार करना पड़ता है। यों भी, हम सारी दुनिया में खूब घूम लें, सैर-सपाटा कर आएं, पर जो सुकून, दिल को तसल्ली घर लौट कर आने से मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। घर आते ही जूते-चप्पल, कपड़े-लत्ते कहीं रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर है अपना। पिछले दिनों एक विवाह का निमंत्रण मोबाइल पर आया, जिसे किसी कारणवश समय पर देखा नहीं जा सका। फोन पर जब बताया गया तब मोबाइल खोलना पड़ा। एक परिचित की बिटिया के विवाह का कार्ड था। होटल में विवाह का ब्योरा दर्ज था। शाम के तीन बजे से आठ बजे के बीच। इस बीच विवाह की सभी रस्में भी होंगी। साथ-साथ नमकीन भी बांटे जाते रहेंगे। आखिरी में खाना। यानी सब काम होटल में। बेचारे घर-देहरी भुला गए। ये बातें अब घर-घर की कही जा सकती है। घर के बच्चे अब बाहर के लगने लगे हैं और बाहर के अपने-पराए में अंतर मिट गया है। पेट-पीठ प्रदर्शन के इस जमाने में किस-किस की बताएं, किस-किस की छिपाएं? समझ नहीं आता। और कहीं-कहीं तो पता भी नहीं रहता!

इस संदर्भ को बढ़ाते हुए इस बात पर गौर किया जा सकता है कि 'समय की कमी' के दौर में फेरों के वक्त को आज के नवयुवक कैसे बर्दाश्त करते हैं, यह समझने वाली बात है। जिन्होंने रीति-रिवाज और परंपराओं को बगल कर दिया हो वे क्या जानें और क्यों जानें? वैसे भी जिन्होंने मां-बाप को मजबूर कर दिया हो, गांव-जमीन को दरकिनार कर लिया हो मात्र अपने सपनों की खातिर, वे क्या जानेंगे घर के बारे में? बचपन से जो घर मन-मस्तिष्क में एक मंदिर की तरह जमा था, लगता है जमाने की इस हवा ने घर को बेघर कर दिया है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

जल ही जीवन

पानी पिलाना पुण्य का काम है। एक समय ऐसा भी था, जब जगह-जगह सड़कों के किनारे प्याऊ मिलते थे। इससे आते-जाते राहगीर अपनी प्यास बुझा लेते थे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते थे। आज न जाने वे सभी प्याऊ कहां चले गए? शहरीकरण के कारण कालोनियां तो बसती गईं, लेकिन ऐसे धर्मार्थ कार्यों का लोप हो गया। प्यास के कारण गर्मियों में कई पशु-पक्षी दम तोड़ देते हैं। फिर भी कोई करुणा नहीं दिखाई देती। पानी पिलाना न सिर्फ व्यवस्था की जिम्मेदारी है, बल्कि मनुष्यों का नैतिक कर्तव्य भी है। कहा भी गया है 'जल ही जीवन है'। गर्मी शुरू होते ही हमें अपने घर के बाहर छांव में मिट्टी के बर्तनों में स्वच्छ जल भर कर रखना चाहिए। इससे न सिर्फ राहगीर बल्कि जीव-जंतु भी अपनी प्यास बुझा सकेंगे। अगर ऐसा हम कर पाएं, तो इससे बेहतर क्या होगा। यह मानवीय धर्म है। हम भी निशुल्क जल पिला कर जाने कितने लोगों को जीवन दान देंगे। गर्मियों में अक्सर प्यास से बेहाल लोग दिख जाते हैं। मगर यह खेदजनक है कि सड़कों के किनारे आज भी पानी भी बेचा जाता है। जबकि इसे निशुल्क कर देना चाहिए था।

- खुशबू कुमारी, लखनऊ

अविस्मरणीय अभिनेता

'देशभक्त चितेरा' (संपादकीय, 7 अप्रैल) पढ़ा। अभिनेता मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के माध्यम से स्वाभाविक ही देशभक्ति का संदेश दिया है। 'पूरब पश्चिम', 'उपकार' एवं 'क्रांति' जैसी सफल फिल्मों के अलावा उन्होंने 'शहीद', 'रोटी, कपड़ा और मकान' और 'पहचान' आदि फिल्मों में उन्होंने देशभक्ति के अलावा कई सामाजिक मुद्दों का भी चित्रण किया और उनके समाधान बताए। इसके अलावा प्राण जैसे स्थापित कलाकार को फिल्म 'उपकार' में चरित्र अभिनेता के रूप में और गायक महेंद्र कपूर को देशभक्ति गीतों के अग्रणी गायक के रूप में प्रोत्साहित कर मनोज कुमार ने फिल्म जगत को समृद्ध किया। फिल्म 'मेरा नाम जोकर', 'आदमी' और 'पत्थर के सनम' आदि में भी मनोज कुमार के अभिनय को दर्शक शायद कभी नहीं भुला सकेंगे। देशभक्ति के साथ ही उनकी फिल्मों में मानवता का संदेश भी मिलता था। वे केवल एक अभिनेता ही नहीं, वरन इंसानियत के सच्चे संदेश वाहक भी थे।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

नई करवट

देश की राजनीति ने एक नई करवट ली है। राजनीतिक दलों को धर्म आधारित राजनीति से सत्ता प्राप्ति का आसान फार्मूला मिल गया है। राजनीतिक दलों द्वारा कई तरह के आयोजन इसी कड़ी का हिस्सा हैं। देश की सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। ऐसे आयोजनों में समुदाय विशेष के मतदाताओं की भागीदारी रहती है। इसी क्रम में पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में कार्यक्रम देखने को मिले, जिससे यह साबित होता है कि इस राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर होने वाली है। खास आयोजनों के माध्यम से मतदाताओं को अपने पाले में लाने की हर संभव कोशिश होती है, लेकिन कड़वा सच यह भी है भावनाओं के आधार पर अभी जो राजनीति की जा रही है, वह न तो देश और न ही समाज हित में है। और न ही सरकारों और राजनीतिक दलों के हित में है। जितना जल्दी हो सके, देश के आम नागरिकों से लेकर सभी दलों को यह समाज में आ जाना चाहिए।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

प्रगति का प्रतीक

पंबन पुल भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और देश की तरक्की का प्रतीक है। यह 2.08 किलोमीटर का समुद्री पुल एक सदी पुराने ब्रिटिश-युग के ढांचे को प्रतिस्थापित करता है और रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्यभूमि से जोड़ता है। कोई 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित, यह भारत के आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास और समर्पण को दर्शाता है, साथ ही इसके अतीत का सम्मान करता है। 72.5 मीटर का उत्थान खंड, जो कुछ मिनटों में 17 मीटर ऊपर उठता है। यह पुल समुद्री यातायात और 80 किलोमीटर प्रति घंटे रेल संचालन को सुरक्षित बनाता है। चक्रवातों और समुद्री क्षरण को सहने के लिए इसे स्टेनलेस स्टील और टिकाऊ 'कोटिंग्स' से डिजाइन किया गया। यह विश्वसनीयता का वादा करता है। इस पुल से संपर्क, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं यह पुल आर्थिक विकास का भी प्रतीक है।

- चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

> कानून का शासन, न्याय तक पहुंच और वित्तीय पारदर्शिता संयोग से नहीं, बल्कि योजना से आती है। -विनी ब्यानिमा

ऐसे वक्त में, जब ट्रंप के टैरिफ ने दुनिया भर के बाजारों को झकझोर रखा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर का यह कहना कि दुनिया को वैश्वीकरण की जरूरत नहीं है, बड़े बदलाव का सूचक है। देखने वाली बात होगी कि वैश्विक स्थितियां अब क्या नया मोड़ लेती हैं।

नई राह पर दुनिया

ऐसे वक्त में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शुल्क नीतियों ने वैश्विक बाजारों को झकझोर रखा है, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का यह कहना कि दुनिया को वैश्वीकरण से कदम खींच लेने की जरूरत है, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की ओर तो इशारा करता ही है, इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हम वाकई वैश्वीकरण के उस दौर के अंत पर खड़े हैं, जो पिछले तीन दशकों से दुनिया को जोड़ रहा है। वैश्वीकरण, जो 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद शुरू हुआ, ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया और तकनीक व संसाधनों के आदान-प्रदान को आसान बनाया। हालांकि, इससे पैदा हुई सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के चलते समय-समय पर इसके खिलाफ यानी डीग्लोबलाइजेशन के पक्ष में भी बातें उठती रही हैं, लेकिन अमेरिका को फिर से महान बनाने की मंशा के साथ ट्रंप द्वारा लगाए गए जवाबी टैरिफ की वजह से दुनिया भर के बाजारों में आई गिरावट, स्टार्मर के बयान और व्यापार युद्ध की आशंकाओं ने वैश्वीकरण के औचित्य पर बहस को फिर से गर्मा दिया है। डीग्लोबलाइजेशन की यही सोच ब्रेग्जिट और अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों में भी परिलक्षित होती है। सवाल यह है कि क्या वैश्वीकरण वास्तव में अपने खात्मे पर पहुंच गया है, या यह केवल एक बदलाव का दौर है? ट्रंप की नीतियों का भले कितना विरोध हो, लेकिन निस्संदेह वे अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देती हैं। एक ओर चीन है, जो अपने ढंग से समीकरण गढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ स्टार्मर हैं, जो ट्रंप के तरीकों से सहमत नहीं हैं, लेकिन उनका यह कहना कि हमें नई आर्थिक वास्तविकताओं के लिए तैयार रहना होगा, इस बात को रेखांकित करता है कि देशों को अब अपनी आपूर्ति श्रृंखलाएं अधिक सुरक्षित और स्थानीय बनाने की जरूरत है। इस दृष्टि से देखें, तो सस्ते श्रम और अधिकतम लाभ के पीछे भागने के बजाय, अब रणनीतिक आत्मनिर्भरता और स्थायित्व की ओर झुकाव जरूरी हो गया है। हालांकि, यह ध्यान में रखना भी जरूरी है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक संकल्पना नहीं है, यह सांस्कृतिक और वैचारिक भी है। राष्ट्रों को पूरी तरह से आत्म-केंद्रित कर देना, नई समस्याएं भी पैदा कर सकता है, चाहे वह तकनीकी नवाचार हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर वैश्विक स्वास्थ्य संकट। उम्मीद की जानी चाहिए कि वैश्वीकरण के अंत की बहस, उसके पुराने रूप के अंत के बारे में हो, न कि विचारधारा के। दरअसल यह वह दौर है, जिसमें दुनिया का हर देश सिर्फ अपने व्यावसायिक हितों के बारे में सोच रहा है। ऐसे में, जल्दबाजी में किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने के बजाय इन बदलावों को समझने की जरूरत है। इस चुनौतीपूर्ण समय में, देखने वाली बात अलबत्ता यह भी होगी कि वैश्विक स्थितियां अब क्या नया मोड़ लेती हैं।

जजों की संपत्ति की घोषणा का कानून बने

जस्टिस वर्मा के बंगले पर नकदी जलने के बाद न्यायिक सुधारों की मांग ने जोर पकड़ा है। विधि आयोग न्यायपालिका में भाई-भतीजावाद पर चिंता जता चुका है। दूसरी ओर, 25 उच्च न्यायालयों के 12.3 फीसदी जजों ने ही संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर जारी की है। संविधान के संरक्षकों को नैतिक आदर्शों पर खरा उतरने की जरूरत है।

दिल्ली हाईकोर्ट में जज के बंगले में नकदी जलने वाले कांड के बाद दो बड़े न्यायिक सुधारों की मांग बढ़ती जा रही है। पहली-जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण की पारदर्शी व्यवस्था के लिए संसद से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की तर्ज पर नया कानून बने। दूसरी-जजों के खिलाफ शिकायत और भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल की तरह स्वतंत्र व्यवस्था बने। नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम के वर्तमान सिस्टम में बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, जिसमें राजनीतिक सहमति का अभाव है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने पर कानून बनाने में समाज के साथ संसद में भी सरकार को समर्थन मिलेगा।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

सुप्रीम कोर्ट में एनजेएसी कानून की सुनवाई के दौरान केएन गोविंदाचार्य की अर्जी पर बहस के दौरान हमने कहा था कि अफसर, विधायक, सांसद और मंत्री की तरह जजों को भी नियुक्ति के पहले शपथ-पत्र देना चाहिए। संविधान की तीसरी अनुसूची और साल-1954 और 1958 के कानून के अनुसार, शपथ-पत्र को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में जज और उनके परिवारजनों की चल और अचल संपत्तियों का विवरण। दूसरे हिस्से में जज, वरिष्ठ वकील, राज्य और केंद्र सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारियों के विवरण से जज बनने वाले उम्मीदवारों के रिश्ते का खुलासा हो। तीसरे हिस्से में यह घोषणा कि गलत या अधूरा शपथ-पत्र देने पर महाभियोग की कठिन प्रक्रिया के बगैर ही प्रशासनिक प्रक्रिया से दागी जजों को हटाया जा सकता है।

एनजेएसी का जस्टिस चैलमेश्वर ने अल्पमत से समर्थन किया था। कुरियन जोसेफ ने बहुमत के फैसले का साथ देने के बावजूद कॉलेजियम की सड़ांध को दूर करने के लिए ग्लास्तनोव यानी पारदर्शिता और पेरोस्त्रोइका यानी पुनर्निर्माण पर जोर दिया था। जजों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद के दो बड़े दुष्परिणाम हैं-पहला-नियुक्ति में कुछ खास परिवारों का आधिपत्य होने से समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा। दूसरा-कुलीनता पर ज्यादा जोर से युवा और योग्य वकीलों को सफलता नहीं मिलने के साथ गरीब जनता के हिस्से में तारीख आती है। अधिकांश जजों के बच्चे, रिश्तेदार या जूनियर उन्हीं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। मर्ज को पहचानते हुए विधि आयोग ने 2009 की 230वीं रिपोर्ट में अदालतों में अंकल जजों के माध्यम से बढ़ रहे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

संसद में सरकारी जवाब के अनुसार, 80 फीसदी से ज्यादा जज उच्च जातियों से जुड़े थे। दूसरी तरफ *द प्रिंट* की रिपोर्ट में विधि आयोग के अंकल जजों वाली चिंता की पुष्टि होती है। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 20 जज पूर्व जजों और बड़े वकीलों के परिवार से जुड़े हैं। लगभग चार जज बड़े अफसरों और राज्यपाल आदि के परिवार से जुड़े हैं। इस तरह से देश की सर्वोच्च अदालत में लगभग तीन-चौथाई जज बड़े वकील, नेता, अफसर और जजों के परिवारों से जुड़े हैं। शपथ-पत्र के माध्यम से पूरे विवरण सार्वजनिक हों, तो दो-तिहाई से ज्यादा जजों का रिश्ता रसूखदार परिवारों से उजागर होगा। भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के साथ इस समस्या का एक दूसरा गंभीर पहलू है। आईआईटी की तर्ज पर बनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हजारों योग्य युवा वकील निकल रहे हैं। देश में 25 लाख से ज्यादा वकीलों के बावजूद जजों के पद खाली रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जजों की नियुक्ति के लिए आईएएस की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर जोर दिया है। इससे युवाओं को रोजगार के साथ आम जनता को जल्द न्याय मिलेगा।

महात्मा गांधी ने कहा था कि अधिकारों का समर्पण ठीक है, लेकिन कर्तव्यों की अवहेलना पाप है। न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बरकरार रखने के लिए साल-1997 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने संपत्ति की स्वैच्छिक तौर पर घोषणा करने का सामूहिक संकल्प लिया, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया। अक्तूबर 2009 में स्वैच्छिक तौर पर संपत्ति का विवरण वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करने के लिए जजों ने संकल्प लिया। संसदीय समिति ने जजों की संपत्ति की घोषणा को बाध्यकारी करने के लिए कानून में बदलाव की सिफारिश की थी। कानून मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि संसदीय समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों की समिति विचार कर रही है।

जस्टिस वर्मा विवाद के बाद यह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। कुल 33 जजों में से 30 ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है। खबरों के अनुसार, तकनीकी कारणों से जजों की संपत्ति के ब्यौरे की फाइलें वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं हो पा रहीं। सनद रहे कि विवादों के घेरे में आए जस्टिस वर्मा ने संपत्ति का विवरण डमी फाइल के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया था।

25 उच्च न्यायालयों में 769 न्यायाधीश हैं, जिनमें से सिर्फ 95 यानी 12.3 फीसदी जजों ने ही संपत्ति की घोषणा वेबसाइट पर की है। दिल्ली हाईकोर्ट, जहां से विवाद की शुरुआत हुई, वहां 38 जजों में से महज सात ने वेबसाइट पर अपनी संपत्ति की घोषणा की है। पंजाब में 53 में से 30 और हिमाचल प्रदेश में 12 में से 11 जजों ने संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर अपडेट करके स्वस्थ परंपरा स्थापित की है। लेकिन इलाहाबाद, पटना, रांची, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा समेत 18 हाईकोर्ट के किसी जज ने संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं किया।

संविधान के संरक्षक जजों को लोकसेवक के कानूनी और नैतिक आदर्शों का पालन करने की जरूरत है। सभी जजों की संपत्ति का सालाना अपडेटेड केंद्रीकृत विवरण लोकपाल के पास होना चाहिए। आम जनता को जल्द न्याय और अर्थव्यवस्था में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाने के लिए इस बारे में सरकार को कानून में जल्द बदलाव की पहल करनी चाहिए।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

हजारी प्रसाद द्विवेदी

मेरी निर्बोध बालिका ने प्रश्न किया-नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। फिर भी मनुष्य पशुओं से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख-दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है।

मनुष्य वही, जिसमें संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है

बच्चे कभी-कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें, तो मां-बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं?

कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे-धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा (रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे)। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। पलीते-वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़-भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नख-धर मनुष्य अब परमाणु बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतरवाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेकिन यह कैसे कहूं। नाखून काटने से क्या होता है?

मनुष्य की बर्बरता घटी कहां है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार-बार थोड़े ही हुआ है? यह तो उसका नवीनतम रूप है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। मेरा मन पूछता है-मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है-जानते हो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूं-जानते हो, ये अस्त्र-शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी हैं। फिर भी मनुष्य पशुओं से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख-दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मनुष्य झगड़े-टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। यह मनुष्यमात्र का धर्म है।

भीतर देखें

सूत्र

गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख-सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य को असली सुख भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ाने से नहीं मिलेगा। बाहर के बजाय भीतर देखने, हिंसा, मिथ्या, क्रोध और द्वेष को मन से हटाने तथा लोक के लिए कष्ट सहने और उनसे प्रेम करने से असली सुख की प्राप्ति होगी।

दूसरा पहलू

2018 में हुए अध्ययन के मुताबिक, कीटों की करीब 55 लाख प्रजातियां हैं। अकेले चीटियों की संख्या ही अरबों-खरबों में हैं।

दुनिया में कितने कीड़े-मकोड़े हैं

धरती पर कहीं भी नजर डालेंगे, तो आपको कीड़े-मकोड़े मिल जाएंगे। अपने आसपास ही चींटियां, भौंरे, झींगुर, ततैया, मच्छर और बहुत कुछ दिख सकते हैं। पृथ्वी पर स्तनधारियों, पक्षियों और पादपों से कई गुना ज्यादा कीड़े-मकोड़े हैं, जो सदियों से वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र हैं। मेरे जैसे जीवविज्ञानी सभी जीवित चीजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। कीट आर्थ्रोपोडा (कठोर बाह्यकंकाल और जोड़युक्त पैरों वाले जीव) नामक एक समूह से संबंधित हैं। सभी कीड़े आर्थ्रोपोड हैं, लेकिन सभी आर्थ्रोपोड कीड़े नहीं हैं। जैसे, मकड़ियां, झींगे और मिलीपेड (अनेक पैरों वाला जीव) आर्थ्रोपोड हैं, लेकिन वे कीड़े नहीं हैं। इसके बजाय, कीड़े आर्थ्रोपोडा के भीतर एक उपसमूह हैं, जिसे 'इन्सेक्टा' कहा जाता है, जिसकी विशेषता छह पैर, दो एंटीना और तीन शरीर खंड हैं-सिर, पेट और वक्ष, जो सिर और पेट के बीच शरीर का हिस्सा है।

निकोलस ग्रीन

कीट आर्थ्रोपोडा (कठोर बाह्यकंकाल और जोड़युक्त पैरों वाले जीव) नामक एक समूह से संबंधित हैं। सभी कीड़े आर्थ्रोपोड हैं, पर सभी आर्थ्रोपोड कीड़े नहीं हैं।

ज्यादातर कीटों के पंख भी होते हैं, हालांकि कुछ कीड़ों, जैसे पिस्सू के पंख नहीं होते। सभी कीटों के देखने का तरीका इन्सानों से भिन्न होता है। सभी कीटों की उत्पत्ति एक ही सामान्य पूर्वज से मानी जाती है, जो 48 करोड़ वर्ष पहले रहते थे। जब हम चींटी, मक्खी या तितली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो प्रजातियों का उल्लेख नहीं करते, बल्कि उन श्रेणियों का उल्लेख करते हैं, जिनमें सैकड़ों, हजारों या दसियों हजार प्रजातियां शामिल हो सकती हैं। जैसे, तितली की लगभग 18,000 प्रजातियां मौजूद हैं। कीटों की प्रजातियों की सटीक संख्या गिनना शायद असंभव है। हर साल कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ नए सिरे से विकसित होती हैं। वर्ष 2018 में हुए एक शोध के अनुसार, कीटों की करीब 55 लाख प्रजातियां हैं। अकेले भौंरों की 15 लाख प्रजातियां हैं। मच्छरों की 3,500, चींटियों की 22,000, टिड्डों व झींगुरों की 30,000 और मक्खियों की 1,20,000 प्रजातियों का अनुमान लगाया गया है। चींटियों की संख्या लगभग 20,000,000,000,000,000 है। एक सामान्य चींटी का वजन करीब तीन मिलीग्राम होता है यानी पृथ्वी पर मौजूद चींटियों का वजन करीब 60 अरब किलोग्राम होगा। यह वजन करीब 70 लाख स्कूल बसों, 600 विमान वाहक या पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के कुल वजन का लगभग 20 फीसदी है। माना जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद 80 फीसदी कीटों की जैव-विविधता अब तक अज्ञात है। हालांकि, कीटों की कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। कीटों का हमारी मानव जाति पर बहुत असर पड़ता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग हैं। -द कन्वर्सेशन से

पृथ्वी पर मौजूद चींटियों का वजन करीब 60 अरब किलोग्राम होगा। यह वजन करीब 70 लाख स्कूल बसों, 600 विमान वाहक या पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के कुल वजन का लगभग 20 फीसदी है।

आंकड़े

जल विद्युत

दुनिया भर में पानी से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन पराग्वे में लगभग पूरी बिजली ही पानी से निर्मित होती है।

पराग्वे	99.7%
नॉर्वे	87.5%
वेनेजुएला	77.6%
कोलंबिया	68.9%
ब्राजील	63.1%

आंकड़े जल विद्युत के प्रतिशत में, भारत में 9.4% है। | स्रोत : Ember Climate, 2024

भक्त श्रीरामाजी के पास किशोरी जी के विवाह के लिए आभूषण नहीं थे, वह चिंतामग्न पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भगवान स्वर्णकार के रूप में आकर उनको गहने दे गए।

भक्त श्रीरामाजी की चिंता

अंतर्यात्रा
संकलित

बिहार के सारण जिले में श्रीरामाजी नाम के भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त हुए हैं। वह पटना के सुप्रसिद्ध महात्मा श्री स्वामी भीष्म जी महाराज के शिष्य थे। श्रीरामाजी की रामलीला में बड़ी रुचि थी। कहा जाता है कि जब भी किसी की शादी होती थी, तो दूल्हे को वह भगवान श्रीराम का रूप मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वह खुद उसकी पालकी ढोते थे और चंवर डुलाते थे। दूल्हे से प्रसाद ग्रहण कर उसके पैर दबाते थे। 'दूल्हारूप रामकर ध्याना' में उनकी अटूट श्रद्धा थी। वह सदैव राम नाम का जाप किया करते थे।

एक बार श्रीरामाजी की इच्छा 'अर्चा विग्रह' का विवाहोत्सव मनाने की हुई। श्रीकिशोरी जी की मूर्ति उनके पास थी। उन्होंने विवाहोत्सव की सभी तैयारियां लगभग कर लीं, लेकिन किशोरी जी के लिए आभूषणों का प्रबंध नहीं हो सका। वह आभूषणों की चिंता में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह सोच रहे थे कि किशोरी जी के लिए आभूषणों की व्यवस्था कहां से होगी? इतने में वह देखते हैं कि एक स्वर्णकार अनेक बहुमूल्य गहने लेकर आए और उनको देकर बोले, 'किशोरी जी के विवाह के लिए इन गहनों को रख लो, आपके पास जब दाम हो जाएं, तब दे देना।' उन्होंने धूमधाम से विवाहोत्सव किया। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने उस स्वर्णकार की खोज की, तो वह उन्हें कहीं नहीं मिला। बताया जाता है कि श्रीरामाजी को गहने स्वयं भगवान ने स्वर्णकार के भेष में आकर दिए थे।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 17 अप्रैल, 1951

डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस में विरोधी दल के रूप में नहीं रह सकता

डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस में विरोधी दल के रूप में नहीं रह सकता

कांग्रेस अध्यक्ष राजर्षि टंडन, पं. नेहरू व डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता आचार्य कृपलानी आदि के बीच हुई बैठक स्थगित हो गई। आचार्य कृपलानी से कह दिया गया कि उनके दल को कांग्रेस में विरोधी दल के रूप में सहन नहीं किया जाएगा।

क्या जर्मन कारों के सुनहरे दिन लद गए

बेजोड़ इंजीनियरिंग जर्मन कारों की पहचान मानी गई है, पर खरीदारों की बदलती पसंद और चीन का उभार जर्मन कार निर्माताओं के लिए संकट बन रहा है।

पिएट्रो मिशेली

आर्थिकी

कार उद्योग टैरिफ, बिक्री में गिरावट, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की कम मांग और श्रमिकों की हड़ताल के चलते अक्सर सुर्खियों में रहता है। वैसे तो इस उद्योग का संकट सभी वैश्विक ब्रांडों को प्रभावित करता है, लेकिन जर्मन कंपनियों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। वोक्सवैगन उत्पादन घटा रही है, मर्सिडीज-बेंज ने लागत में कटौती की घोषणा की है और पिछले एक साल में बीएमडब्ल्यू के मूल्य में काफी गिरावट आई है।

जर्मन कार निर्माताओं की परेशानियों के कई कारण हैं। इनमें विनियमन में बदलाव, नए प्रतिस्पर्धियों का उदय, ऊर्जा की ऊंची कीमतें, बाजार और आपूर्ति श्रृंखला, दोनों में कोविड व्यवधान और माइक्रोचिप की कमी से पैदा हुई बाधाएं शामिल हैं। हालांकि चीन कई यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी निर्माताओं के लिए एक तेजी से बढ़ता बाजार था, लेकिन हाल के वर्षों में यह एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बन गया है, क्योंकि इसके घरेलू ब्रांड स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बाजार पर कब्जा कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में ही चीन में जर्मन ब्रांडों की बाजार हिस्सेदारी 25 फीसदी से घटकर 15 फीसदी रह गई है। यह सब न केवल जर्मनी की अर्थव्यवस्था को, बल्कि देश की पहचान को आकार देने में ऑटोमोटिव उद्योग की भूमिका को देखते हुए इसके राष्ट्रीय गौरव को भी नुकसान पहुंचाता है। ये परेशानियां उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं से उपजी हैं।

शोध के दौरान मुझे लगा कि कार निर्माताओं ने उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और व्यवहार में हुए महत्वपूर्ण बदलावों को कम करके आंका है। वोक्सवैगन बीटल और पोर्श 911 जैसे प्रतिष्ठित जर्मन मॉडलों ने ऑटोमोबाइल को 20वीं सदी के सबसे परिभाषित उपभोक्ता उत्पादों में से एक बनाने में योगदान दिया। उनकी सफलता का मूल आधार यह था कि वे गति, शक्ति और स्वतंत्रता का वादा करती थीं। उनके ग्राहक महंगे, लेकिन शानदार इंजीनियरिंग का उत्पाद खरीदने के इच्छुक हैं। हालांकि कारें अब भी कुछ उपभोक्ताओं के लिए इच्छा और ब्रांड पहचान की वस्तु हैं, पर कई खरीदारों की पसंद बदल रही है। गति या शक्ति के बजाय, वे इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं कि कार ड्राइविंग अनुभव के अलावा और क्या दे सकती है-यानी डिजिटल इंटरफेस और साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं और पिछली सीट पर बच्चों के मनोरंजन की चीजें। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डिजिटल सुविधाएं विशेषज्ञ फर्मों द्वारा विकसित की जाती हैं और कार निर्माता शायद ही कभी खुद ऐसा करते हैं। इसके अलावा, समग्र रूप से मोटर वाहन उद्योग एक नए प्रतिमान की ओर बढ़ रहा है, जहां वाहन तेजी से स्वायत्त होंगे और जहां हाइब्रिड और ईवी का बोलबाला होगा।

20वीं सदी में कई महत्वपूर्ण आविष्कार जर्मन कंपनियों द्वारा किए गए। मसलन, मर्सिडीज-बेंज 260 डी, डीजल इंजन वाली पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित यात्री कार थी। लेकिन भविष्य नवोन्मेषी चुनौती देने वालों का है। इनमें चीनी कंपनी बीवाईडी शामिल है, जो 2024 में टेस्ला को पछाड़कर सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बन गई है, साथ ही कैलिफोर्निया स्थित वेमो (गूगल की पूर्व सेल्फ-ड्राइविंग कार परियोजना) जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों के उद्यम भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी सफल रोबोटैक्सिस के साथ काम किया है। बेशक जर्मन कार कंपनियां अब भी प्रतिस्पर्धी हैं, नवाचार के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्य रूप से ग्राहकों को क्रमिक रूप से बेहतर उत्पाद की ओर प्रेरित करना रहा है। ऐसा करते हुए वे अनिवार्य रूप से उन्हें वही उत्पाद प्रदान कर रहे हैं। यह रणनीति स्थिर बाजारों में प्रभावी हो सकती है, लेकिन यह गतिशील बाजारों में कम सफल साबित हो रही है, जहां उपयोगकर्ता अनुभव को केंद्र में होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि उत्पादों और सेवाओं को विकसित करते समय उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं को तवज्जो देना चाहिए-कुछ ऐसा, जो तकनीकी कंपनियां अपने तेजी से परिष्कृत कार उत्पादों के साथ कर रही हैं।

यह ऐसा दृष्टिकोण है, जो खुलेपन, अस्पष्टता से निपटने की क्षमता, ब्रांडों की रचनात्मकता को दबाने वाले 'लौह पिंजरों' को खत्म करने और एक निश्चित हद तक विनम्रता की भी मांग करता है। ये ऐसे गुण हैं, जो पारंपरिक वाहन निर्माताओं में गायब हैं। तो कौन-सी कंपनियां आगे बढ़ने वाली हैं? वे, जो मौजूदा उत्पादों में क्रमिक सुधार करके उन खरीदारों को आकर्षित करती हैं, जो कार खरीदना और चलाना चाहते हैं? या वे, जो ऐसे ग्राहकों को लक्षित करती हैं, जो एक स्वायत्त वाहन का अनुभव करना चाहते हैं, जहां वे गाड़ी चलाने में रुचि नहीं रखते हैं? जर्मन वाहन निर्माताओं को तेज गिरावट का खतरा है-कार उद्योग की अग्रणी कंपनियों से लेकर संघर्षरत पिछड़ी कंपनियों तक। मानसिकता में बुनियादी बदलाव ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। -द कन्वर्सेशन से

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 9 अप्रैल 2025

राज्यपाल का रोल

तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य और राज्यपालों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान की दिशा में अहम कदम है। शीर्ष अदालत ने एक बार फिर से राज्यपालों की भूमिका स्पष्ट की है। यह फैसला आने वाले वक्त में एक नजीर बनेगा और उम्मीद है कि टकराव के रास्ते से हटकर राज्य सरकारें और राज्यपाल मिलकर काम करेंगे।

पुराना विवाद । तमिलनाडु सरकार को इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि राज्यपाल ने कई विधेयक लंबे समय से रोक रखे थे और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा था। कोर्ट ने इसे अवैध और विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण बताया। इसी तरह का विवाद पिछले साल केरल में भी हुआ था। तब राज्य की डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कई बिल दो साल तक लटकाए रखे और फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया।

SC की नसीहत

नसीहतों का असर नहीं । देश की शीर्ष अदालत पहले भी कह चुकी है कि राज्यपाल विधानसभा में पारित किसी विधेयक को हमेशा के लिए अपने पास रोक कर नहीं रख सकते। उन्हें उस पर फैसला लेना ही होगा। अफसोस कि पिछली किसी नसीहत का कोई असर नहीं दिखा। इसी से सुप्रीम कोर्ट को ताजा मामले में वही बातें फिर से दोहरानी पड़ी हैं। फैसले का यह बिंदु बेहद अहम है कि राज्यपालों को किसी बिल पर एक से तीन महीने में फैसला ले लेना चाहिए।

टकराव की वजह । साल 1959 में गवर्नर की रिपोर्ट पर केंद्र ने केरल की नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया था। वह पहला मामला था, और जब से राज्यपालों की नियुक्तियां राजनीतिक होने लगीं, टकराव बढ़ने लगा। निर्णय, अधिकार और शक्तियां - कई मुद्दों पर दोनों में टकराव होता रहा है। हाल में इसका सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल और दिल्ली रहे। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की पहले जगदीप धनखड़ और अब सीवी आनंद बोस के साथ कभी पटरी नहीं बैठी। वहीं, दिल्ली में AAP सरकार के कार्यकाल में एलजी के साथ कई बार मतभेद हुए।

परंपरा का पालन । नवंबर 2023 में पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच हुए विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, 'हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चल रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए।' राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते परंपराओं की सुरक्षा राज्यपाल की ज्यादा जिम्मेदारी है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। राज्यपाल को इनका अनुपालन करना चाहिए।

ऑफबीट

मोर इंस्टैंट दुनिया

सौरभ श्रीवास्तव

वेब सीरीज 'Adolescence' ने हमें नई तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये किशोर साइबर स्पेस की किस दुनिया में गोते लगा रहे हैं? वहां उन्हें कौन बुली कर रहा है या वे किसको बुली कर रहे हैं? कब उस साइबर स्पेस के जज्बात, असल दुनिया में किसी भयानक घटना को जन्म दे देंगे, क्या हमें इसकी जरा भी भनक है? क्या हमें नई तरह की पैरेंटिंग की जरूरत है?

ज्यादातर किशोरों का सोशल मीडिया बिहेवियर हम प्रौढ़ों से अलग है। वे ब्लॉग बहुत कम या बिलकुल नहीं लिखते हैं। लंबे पोस्ट की सुविधा देने वाले सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म फेसबुक को ओल्ड फैशन मानते हैं। उनकी दुनिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों के संसार में सिमटी है। उन्हें X भाता है या इंस्टाग्राम या फिर स्नैप चैट। यहां जो भी चीजें हैं वे 'मोर इंस्टैंट' हैं। उनकी भाषा भी इंस्टैंट हो गई है। वे अपनी ज्यादातर बातें जेन-जी लैंग्वेज में या इमोजी के जरिए करते हैं। स्लैंग्स, abbreviation और कई अलग शब्दों को एक साथ जोड़ने व सिंबल्स से बनी यह भाषा एक ऐसा संसार रचती है, जिसकी बातचीत प्रौढ़ों के पल्ले नहीं पड़ती। एक उम्र के बाद माता-पिता भी इन जटिलताओं से बचते हुए कह देते हैं कि बच्चों की दुनिया हमारी समझ से परे है। उनका ऐसा कहना या मान लेना टीनएजर्स के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जो उन्हें आश्वस्त करता है कि हमारी दुनिया को हम ही समझते हैं, कोई और नहीं।

एक और पहलू पर नजर डालते हैं जो शहरी टीनएजर्स की दुनिया का अहम हिस्सा है- विडियो गेम्स। क्या आपने भी कोई ऐसा विडियो गेम देखा या खेला है, जिसमें कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है। हिंसा नहीं होती है और उसे खेलने के बाद शांति, सुकून या ठहराव महसूस होता है? निश्चित तौर पर नहीं। असल में माइक्रो ब्लॉगिंग, शॉर्ट विडियोज और विडियो गेम्स का एल्गोरिथ्म इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह यूजर को हमेशा ही एक्साइटेड रखता है। टीनएज में जब बच्चों के शरीर में तमाम हार्मोनल चेंजज हो रहे होते हैं, तो यह एक्साइटमेंट दोगुना-तिगुना हो जाता है और इसी एक्साइटमेंट से जन्म होता है अनहोनी का, तमाम तरह के मानसिक विकारों का। तो किया क्या जाए? किया यह जाए कि बच्चों और अपने जीवन को थोड़ा धीमा किया जाए और पैरेंटिंग में टेक्नॉलजी के महत्व को समझा जाए।

एकदा

घुमक्कड़ की पहेली

14-15 साल का एक किशोर जब हावड़ा स्टेशन पर उतरा तो वहां की भीड़ देख उसके होश उड़ गए। सोचा था, कलकत्ता भी बनारस जैसा होगा और वहां भी किसी धर्मशाला में जगह मिल जाएगी। अब उसे घर से 22 रुपये लेकर चुपचाप निकलने पर पश्चाताप हुआ। पर रानी की सराय के मदरसे की पाठ्यपुस्तक में पढ़ी गई शायरी *'सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर फिर रही तो नौजवानी फिर कहां'* ने घूमने की जो आग उसके मन में लगाई थी, वह और विकराल रूप लेने वाली थी। तभी हमउम्र एक नौजवान ने आकर पूछा, 'कहां से आए हो?' अजनबी शहर में इस नए साथी के 8 आने महीने के कमरे में वह रहने लगा। 22 रुपये कम नहीं थे, लेकिन कम होते पैसे के कारण इस किशोर में काम की तलाश की तलब हुई। इसी दौरान उसकी मुलाकात बिन्दा प्रसाद पाठक से हुई, जो 5 रुपये महीने के किराए पर एक कमरे में अकेले रहते थे। शुक्रिया पाठक जी का, जिनके प्यार और स्नेह से यह बालक फिर अपने गांव पंदहा आ गया। लेकिन उससे भी अधिक शुक्रिया उस शायर का, जिसने इसे घुमक्कड़ बनाया, नहीं तो हमें 'वोल्गा से गंगा तक' जैसी नायाब कृति न मिलती। वह घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन थे।

Subrata Dhar

संकलन : हरिप्रसाद राय

सदस्य देशों के बीच व्यापार और आवाजाही बढ़ाने का मकसद स्थापना के 28 वर्षों में पूरा नहीं हो पाया

BIMSTEC अपने लक्ष्य से अभी काफ़ी दूर

रंजीत कुमार

सात देशों का क्षेत्रीय संगठन BIMSTEC 28 वर्ष का होने को है। बैंकॉक में 4 अप्रैल को इसके सातों सदस्य देशों- बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, थाइलैंड, नेपाल और भूटान - के राष्ट्र प्रमुखों ने इसकी छठी शिखर बैठक में शिरकत की। फिर BIMSTEC घोषणापत्र व बैंकॉक विजन- 2030 के साथ सदस्य देशों ने मुक्त व्यापार समझौता करने का संकल्प जाहिर किया। लेकिन जमीनी अड़चनों को दूर करने और व्यापारिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई उल्लेखनीय फैसला नहीं लिया गया।

भारत केंद्र में । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में 21 सूत्रीय एक्शन प्लान पेश किया, जिसमें बिजनेस चैंबर खोलने, स्कॉलरशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम या आपदा प्रबंधन केंद्र खोलने जैसी बातें रहीं। लेकिन जिस तरह 28 देशों के यूरोपीय संघ या 10 देशों के आसियान ने क्षेत्रीय सहयोग की मिसाल पेश की है, BIMSTEC उससे कोसों दूर है। 1997 में BIMSTEC की स्थापना दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल के तौर पर की गई थी, ताकि सार्क और आसियान मिलकर एशिया के एक बड़े इलाके में आर्थिक विकास को गति दें। इस पूरे इलाके में भारत ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए उसे धुरी के तौर पर देखा जाने लगा।

सबकी नजर इधर । दुनिया की आबादी का पांचवां हिस्सा BIMSTEC इलाके में बसता है। इसके समग्र विकास पर सबकी नजर रहती है ताकि इसे एक बड़े बाजार के तौर पर खड़ा किया जा सके। लेकिन जब तक सदस्य देशों में कस्टम, वीजा, वाहनों की आवाजाही या आपराधिक नियमों आदि में एकरूपता नहीं होगी, यह मुमकिन नहीं हो सकता कि वे अपनी सीमाएं यातायात के लिए खुली छोड़ दें। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, जिसकी खातिर BIMSTEC के सदस्य अभी तैयार नहीं दिखते हैं।

बांग्लादेश की भूमिका । BIMSTEC (बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकॉनमिक कोऑपरेशन) के सात में से दो सदस्य थाइलैंड और म्यांमार, आसियान के सदस्य हैं। पांच सदस्य सार्क के हैं। BIMSTEC सार्क और आसियान के बीच एक प्रभावी कड़ी बन सकता था, लेकिन सार्क सदस्य इसके लिए तैयार नहीं दिखे। सार्क के निष्क्रिय होते जाने के बीच भारत ने 2016 से जब BIMSTEC को सक्रिय करना शुरू किया, तब यह भी कहा गया कि सार्क के विकल्प के तौर पर भारत इसे बढ़ावा दे रहा है। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने जो विघटनकारी भूमिका सार्क में निभाई, वही भूमिका बांग्लादेश अब BIMSTEC में निभाने जा रहा है।

छठी BIMSTEC बैठक

- भारत का 21 सूत्रीय एक्शन प्लान
- आपसी सहयोग से दूर है BIMSTEC
- बैठक में नहीं हो पाई ठोस प्रगति

यूनुस का झुकाव । बांग्लादेश ने BIMSTEC की अध्यक्षता संभाल ली है। लेकिन वहां अस्थायी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे के बाद भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश की उपेक्षित सात बहनों के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि यह इलाका जमीन से घिरा है और यहां से पहुंच समुद्र तक नहीं है, इसलिए चीन इस रिक्तता को भर सकता है। यह बात BIMSTEC बैठक के पहले इसकी हवा निकालने जैसी ही है। बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट करीब 6500 किमी का है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में भूमिका इस इलाके के समुद्र तटीय देशों की ही हो सकती है।

ठोस कदम । BIMSTEC की कामयाबी में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की विशेष भूमिका होगी, क्योंकि ये आसियान के सबसे नजदीक हैं। इस इलाके को आसियान से जोड़ने के लिए सदस्य देशों के बीच बेरोकटोक आवाजाही की जरूरत होगी। BIMSTEC के लिए इस दिशा में कुछ ठोस कदम जरूर उठाए गए। इस सदी के शुरू से ही BIMSTEC के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोलकाता- म्यांमार- बैंकॉक त्रिपक्षीय राजमार्ग पर काम शुरू किया गया, जो काफी हद तक बन चुका है। म्यांमार में इस समय आंतरिक अस्थिरता है, जिसके चलते इसे अंतिम रूप देने की कोशिश नहीं की जा रही है।

आवाजाही की समस्या । जब तक सदस्य देशों के बीच वीजा मुक्त खुली आवाजाही नहीं होगी, तब तक क्षेत्रीय सहयोग को ताकत नहीं मिलेगी। सार्क भी इसी से जूझता रहा। आखिरकार जब सार्क सदस्य पाकिस्तान ने यातायात समझौते में अड़ंगा डाला और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब सार्क की गाड़ी भी रुक गई। कोलकाता- बैंकॉक राजमार्ग पर सुरक्षित आवागमन भी कुछ इसी समस्या से जूझ रहा है। वैसे यह राजमार्ग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों सहित म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाइलैंड के आर्थिक विकास में पासा पलटने वाला साबित होगा।

बाजार का चुंबक । BIMSTEC को कामयाब बनाने के लिए इस पूरे इलाके में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों के अनुकूल हिंसा मुक्त माहौल की दरकार है। हालांकि BIMSTEC शिखर बैठक में समुद्री परिवहन सहयोग संधि की गई है, लेकिन कोलकाता-बैंकॉक राजमार्ग की अहमियत कहीं अधिक है। इससे आसियान और दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक व व्यापारिक एकीकरण होगा, जिससे पूरे इलाके की सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधियों में एक नई हलचल पैदा होगी। और तब BIMSTEC एक जीवंत एकीकृत बाजार के तौर पर विश्व व्यापार का चुंबक बन सकता है।

(लेखक विदेशी मामलों के जानकार हैं)

एक दान ज़िंदगी के लिए...

पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि वह अंगदान करने वाले कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी दे रही है। सरकार ने ऐसा अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए किया। पर अभी भी भारतीयों में इसे लेकर जागरूकता की कमी है। जीवन चाहने वालों की लाइन लंबी है, दे सकने वालों की लगभग न के बराबर। भारत में ऑर्गन फेल होने की समस्या इससे भी बड़ी है। समझते हैं, कहां है समस्या...

डगमगाती आस

- हर साल 5 लाख लोगों की अंग ना मिलने से मौत।
- प्रति दस लाख लोगों पर अंगदान दर 1 से भी कम।
- लोग अंगदान को धार्मिक मिथकों से जोड़ते हैं।
- अंगदान करने में परिवार झिझकते हैं।

40.6% लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं।

26% गंभीरता से नहीं लेते।

22.9% सफलता की कहानियां सुनने पर दान को तैयार।

मांग व जरूरत

18,000 से ज्यादा अंग प्रत्यारोपण हुए 2023 में।

5,000 थी यह संख्या 2013 में।

15,000 से ज्यादा जीवित दाताओं ने अंगदान किया।

1,100 मृतक दाताओं से अंग प्राप्त हुए।

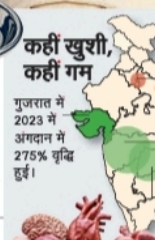

मांग		उपलब्ध
2,00,000	किडनी	13,000
50,000	यकृत	4,500
50,000	हृदय	200
2,00,000	कॉर्निया	50,000

प्रेरणादायी

पिछले हफ्ते दिल्ली में 46 वर्ष की एक ब्रेन डेड महिला के परिजन उनके अंग दान करने को राजी हुए। इससे 4 लोगों की जान बची। ध्यान रहे, एक डोनर 9 लोगों की जान बचा सकता है।

सरकारी प्रयास

- 65 वर्ष आयु सीमा की शर्त हटाई।
- युवा मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- डोमिसाइल, रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म।

कहीं खुशी, कहीं गम

कब बनेगा ढांचा...

- *केवल 250 अस्पताल NOTTO से पंजीकृत।*
- 43 लाख लोगों पर 1 ट्रांसप्लांट सेंटर।
- 15% अंगदान Govt. अस्पतालों में
- 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मरते हैं हर साल।
- समय पर पहचान न होने से अंग बर्बाद
- डॉक्टरों में भी बात करने की हिचक।

हाल-ए-दुनिया

अमेरिका में प्रति दस लाख पर 32 अंगदान।

स्पेन में यह दर 47 है।

- भारत में यह दर 1 से भी कम है।
- अमेरिका और यूरोप में 70-80% अंगदान ब्रेन डेड से।
- भारत में 88% किडनी, 77% लीवर दान जिंदा डोनर से।

भारत में अंगदान की दर बहुत कम है। हमें लोगों को जागरूक करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग दूसरों की जिंदगी बचा सकें। *-डॉ. एएन उस्मानी, नेफ्रोलॉजिस्ट*

जब हम किसी की जान बचाने या उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने किन्हीं अंगों का दान करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा करते हैं। अंगदान से कई जीवनों को नया जीवन मिल सकता है। *-डॉ. प्रणव पण्ड्या, प्रमुख, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज*

कंटेंट: राहुल पाण्डेय, ग्राफिक्स: अर्जुन सिंह

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

स्वार्थ के साइड इफेक्ट हैं मायूसी और अकेलापन

संजय तेवतिया

जीवन का एक अत्यंत मूल्यवान पाठ है- स्वार्थी न बनो। यह पाठ केवल सामाजिक सद्भाव के लिए ही नहीं, हमारे व्यक्तिगत विकास और आत्मिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। स्वार्थी व्यक्ति वह है जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं व सुख-दुख की अनदेखी करता है। ऐसे व्यक्ति को हम मतलबी कहते हैं।

मतलबी होना ऐसी प्रवृत्ति है, जो इंसान को अपनों से दूर कर देती है। ऐसे लोग रिश्तों को भी सौदे की तरह देखते हैं। जब तक लाभ है, रिश्ता है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लाभ खत्म, रिश्ता खत्म। वे भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और उनके साथ सामंजस्य में जीने से मिलती है।

इस बात को चार्ल्स डिकेन्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'A Christmas Carol' में बखूबी दर्शाया है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र एबेनेजर स्क्रूज अत्यंत स्वार्थी और लालची व्यक्ति है। दूसरों की पीड़ा से उसे कोई सरोकार नहीं होता। वह केवल धन इकट्ठा करने में व्यस्त रहता है, लेकिन उसका जीवन अकेलेपन, कठोरता और भावनाहीनता से भर जाता है। जब स्क्रूज को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक दिखाई देती है, तब उसे एहसास होता है कि उसका स्वार्थी जीवन उसे दूसरों से दूर कर रहा है। साथ ही उसे भीतर से खोखला भी बना रहा है। यह आत्मबोध उसे करुणामय, उदार और निस्वार्थ इंसान में बदल देता है।

वास्तविक सफलता केवल धन और पद में नहीं होती। यह इस बात में होती है कि हमने कितने लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से छुआ। जो व्यक्ति निस्वार्थ होता है, वही समाज में प्रेरणा का स्रोत बनता है। दया और परोपकार वे शक्तियां हैं, जो न केवल दूसरों का जीवन संवारती हैं, बल्कि हमारे अंतर्मन को भी संतोष से भर देती हैं। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करने से मिलने वाली आंतरिक संतुष्टि किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। स्वार्थी जीवन के साइड इफेक्ट हैं- रिश्तों में दरार, अकेलापन, आत्मिक असंतोष। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वे हमेशा और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं और संतोष चुपके से राह बदल लेता है।

जीवन की सच्चाई है- कर भला, तो हो भला। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी वास्तव में सफल और संतुष्ट व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में दया, सेवा और परोपकार को स्थान दें। यही हमारे जीवन को अर्थ देगा और जीने की राह ढूंढ निकालेगा।

वक़्फ़ में सरकारी दख़ल पर ऐतराज़ ठीक है?

सुहेल वहीद

लखनऊ के पास सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की प्रसिद्ध दरगाह है। साल 1967 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस दरगाह पर दावा ठोक दिया। 2022 में वक्फ ट्रिब्यूनल ने दरगाह के पक्ष में फैसला सुनाया। दरगाह के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों, दोनों ने जमीन दी थी और किसी ने भूमि वक्फ नहीं की थी। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड मुकदमा हार गया। दरगाह की देखभाल 1917 में बना हाजी वारिस अली शाह मुसोलियम ट्रस्ट करता है। अजमेर वाले ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने 1955 में दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट लागू किया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने इस कानून के तहत ही अजमेर दरगाह ट्रस्ट बनाया और यही सारे काम देखता है।

शाही मोहर्रम । लखनऊ के शाही मोहर्रम जैसा आयोजन ईरान और इराक तक में नहीं होता। सन 1838 में अवध के तीसरे ताजदार मोहम्मद अली शाह बहादुर ने जिस तरह का शाही मोहर्रम शुरू किया था, वह अब भी जारी है। हर साल शाही जुलूस की व्यवस्था के लिए हुसैनाबाद ट्रस्ट करीब 30 लाख रुपये खर्च करता है। मोहम्मद अली शाह ने 1839 में यह ट्रस्ट कायम किया था। इसका पूरा इंतजाम सरकार के हाथों में है और लखनऊ के एडीएम इसके इंचार्ज होते हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था । साफ है कि प्रशासन वाली व्यवस्था किसी न किसी रूप में चली आ रही है। मुस्लिमों को यह स्वीकार नहीं कि डीएम को वक्फ के अधिकार दे दिए जाएं। लेकिन, मौजूदा सिस्टम में डीएम के पास अघोषित और अलिखित किस्म के असीमित प्रशासनिक अधिकार होते हैं।

मंदिरों के ट्रस्ट । शिरडी, तिरुपति बालाजी समेत ज्यादातर बड़े मंदिर ट्रस्ट के जरिए ही चल रहे हैं। वैष्णो देवी के लिए एलजी और श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ के लिए डीएम का प्रावधान है। अगर डीएम हिंदू न हुआ तो उसकी जगह कोई हिंदू अधिकारी नामित किया जाएगा। ऐसी ही व्यवस्था नए वक्फ कानून में की जा सकती थी, लेकिन शायद यह मांग ही नहीं रखी गई।

कॉमन रूम

पसमांदा पर पेंच । बात सिर्फ इतनी-सी है कि हिंदू छवि वाली पार्टी होने के नाते BJP मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर मौन रहना पसंद करती है। ऐसी पार्टी की सरकार जब मुस्लिमों के भले की बात करती है, तो समुदाय के गले नहीं उतरती। ऐसा नहीं है कि BJP सरकार के हर फैसले के खिलाफ मुस्लिम मुखर हो जाता हो। तीन तलाक पर सब चुप रहे। लेकिन, वक्फ पर विपक्ष भी फंस गया, क्योंकि बोर्ड में दो पसमांदा मुसलमानों को सदस्यता दे दी गई।

बेहतरी का मौका । आम मुसलमान का वक्फ की जायदाद से लेना-देना नहीं। वक्फ प्रॉपर्टी की आमदनी से गरीब मुस्लिम महिलाओं को हर महीने पेंशन देने की स्कीम शाहबानो प्रकरण के बाद लागू की गई थी, जो बुरी तरह फेल हो गई। फिर ऐसा हो पाएगा, कहना मुश्किल है। सरकार के पास मौका है कि वह वक्फ बिल को पूरी निष्ठा से लागू करे और मुस्लिम समाज का भला करने के दावे को सच कर दिखाए।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 9 अप्रैल • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

*दुनियावी चीजों में सुख की तलाश, फिजूल होती है।
आनंद का खजाना तो कहीं हमारे भीतर ही है।*
-स्वामी रामतीर्थ

दोहरी मार

दुनिया भर में शेयर बाजार के जबरदस्त तरीके से लुढ़कने के सदमे के दरम्यान ही सरकार ने जनता को घरेलू गैस सिलेंडर में पचास रुपये का इजाफा कर करारा झटका दिया। उपभोक्ताओं को इस वृद्धि के बाद प्रति सिलेंडर 853 या 879 रुपये देने होंगे जो अब तक क्रमशः दिल्ली में 803 रुपये या कोलकाता में 829 रुपये में मिल रहा था। उज्जवला योजना के तहत मिलने वाला 14.2 किग्रा. का सिलेंडर अब 553 रुपये में उपलब्ध होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार, आगे इस मूल्य वृद्धि की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका-चीन के बीच छिड़े व्यापार युद्ध के चलते अप्रैल, 2021 के बाद कच्चे तेल की कीमतें सबसे निचले स्तर पर हैं। दरअसल, अमेरिकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के विभिन्न देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है। निवेशकों में चीन समेत अन्य कई देशों के अमेरिका पर उल्टा नये टैरिफ की घोषणा से टैरिफ वॉर के गंभीर रूप लेने का डर बैठ गया है। इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी दिखा है, जहां भय और अनिश्चितता के चलते बिकवाली की गहरी मार पड़ी। निवेशकों की घबराहट के बावजूद बाजार के गिरने का सिलसिला मंगलवार को थोड़ा थमता नजर आया। मगर अंतरराष्ट्रीय बाजार के असर से घरेलू शेयर मार्केट का बचना नामुमकिन है। आर्थिक विशेषज्ञ इस ट्रेड वॉर को आर्थिक मंदी की आहट भी मान रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई की मार केवल भारतीय जनता ही नहीं झेल रही है, आम अमेरिकी भी खासा परेशान है। ट्रंप के निर्णयों के बाद अमेरिका में विरोध-प्रदर्शनों का दौर चालू हो चुका है। हालांकि अपने यहां आपसी असहमतियों से बिखरा विपक्ष इस मौके का लाभ लेने में कतई चूक रहा है। पेट्रोल-डीजल के खुदरा मूल्य के न बढ़ने की दलीलों के बावजूद आम उपभोक्ता जल्द ही दाम बढ़ने को लेकर पूरी तरह आशंकित है। जैसे पूर्व में गैस सिलेंडर के दाम दस-दस रुपये बढ़ते रहे हैं। बड़ा तबका अपने सीमित बजट में आसानी से समन्वय कर लेता है। मगर पचास रुपये आम निम्न मध्यवर्गीय की जेब पर पड़ने वाली मामूली राशि नहीं कही जानी चाहिए। वह भले ही छोटा निवेशक न हो पर कंपनियों की आय और मुनाफे पर पड़ रहे ट्रेड वॉर के असर से भी आम नागरिक नहीं बचने वाला। क्योंकि इसके कारण बढ़ी महंगाई के चपेटे में समूची दुनिया आ सकती है। सरकार को तत्काल विचार करने की जरूरत है।

विरोध नहीं विचार

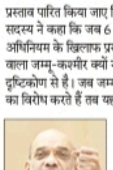

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर जो नजारा पेश आया उसमें एक साथ कई स्थितियां झलकती हैं। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा कि सारा काम रोक कर वक्फ अधिनियम पर चर्चा की जाए और इसके विरोध में उसी तरह प्रस्ताव पारित किया जाए जिस तरह तमिलनाडु विधानसभा में किया गया। एक सदस्य ने कहा कि जब 6 फीसद मुस्लिम आबादी वाला तमिलनाडु वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकता है तो मुस्लिम बहुल आबादी वाला जम्मू-कश्मीर क्यों नहीं यानी यहां वक्फ अधिनियम का विरोध मुस्लिम दृष्टिकोण से है। जब जम्मू-कश्मीर भाजपा के विधायक इस तरह के प्रस्ताव का विरोध करते हैं तब यह मामला सीधे-सीधे हिन्दू-मुसलमान का हो जाता है। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चयनित

विधानसभा अध्यक्ष पार्टी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देता और तमिलनाडु की तुलना पर कहता है कि इस समय यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है जबकि तमिलनाडु में उस समय प्रस्ताव पास हुआ था जब मामला न्यायालय में नहीं गया था। लेकिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ निर्दलीय मुस्लिम विधायकों ने अध्यक्ष की बात को नकार दिया तो हंगामा यहां तक बढ़ा कि 'भारत माता की जय' और 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगने लगे, धक्का-मुक्की हुई, हाथापाई भी हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कोशिश यह दिखाई दी कि वह वक्फ अधिनियम का विरोध करते हुए भी दिखाई दें, मगर वास्तव में विरोध नहीं करें। जम्मू-कश्मीर की यह स्थिति मजहब, राजनीति और सत्ता के तेजी से बिगड़ते संतुलन का प्रतीक है। विधानसभा में जिस तरह की सांप्रदायिक कटुता दिखाई दी अगर वह सदन से बाहर प्रसारित होती है तो जम्मू-कश्मीर इस समय थोड़ी शांति से जी रहा है, फिर से उपद्रवी हालात की ओर मुड़ सकता है। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री उमर की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस मामले को यथाशीघ्र शांत करें और इसे अराजकवादी तत्वों के हाथ में पहुंचने से रोकें। केंद्र सरकार को भी इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाजपा और मुस्लिम नेताओं की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे पर वे लोगों को अनावश्यक तौर पर न भड़काएं क्योंकि शांति सभी के लिए हितकर है। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

मौसम/डॉ. सत्यवान सौरभ

खतरनाक होती प्रकृति

गर्मी का मौसम भारत में नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी प्रकृति खतरनाक होती जा रही है। कभी मौसमी बदलाव माने जाने वाली हीटवेव अब हमारे शहरों और गांवों में नियमित आपदा का रूप ले चुकी है। 2024 में उत्तर-पश्चिम भारत में 181 हीटवेव दिन दर्ज किए गए-जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यह संख्या केवल मौसम के आंकड़ा भर नहीं है; यह जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका पर मंडराते खतरे की स्पष्ट चेतावनी भी है।

हीटवेव, सामान्य तापमान सीमा से अधिक अत्यधिक गर्मी की लंबी अवधि है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में और भी भीषण हो गई है। वर्ष 2024 में भारत में कई राज्यों में 554 हीटवेव के दिन दर्ज किए जिसमें अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। इस वृद्धि ने गर्मी से संबंधित बीमारियों को बढ़ा दिया है, जो बुजुर्गों, मजदूरों और कम आय वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है। अत्यधिक गर्मी का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डिहाईड्रेशन, हीट-स्ट्रोक, हृदयगति का तेज हो जाना, और सांस लेने में तकलीफ-सभी हीटवेव के साथ आने वाली आम समस्याएं हैं। हीटवेव केवल सेहत का नहीं, आर्थिक उत्पादन का भी सवाल बन गई है। निर्माण श्रमिक, किसान और सड़क विक्रेता जैसे बाहरी कामकाज से जुड़े लोगों की उत्पादकता गिर रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, हीटवेव के कारण भारत में कार्य घंटों में 2.2% की गिरावट आ सकती है, जो जीडीपी में 2.8% तक की हानि का सबब बन सकती है। हीटवेव से लड़ाई सिर्फ एक मौसमी अलर्ट से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, शहरी नियोजन, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार और सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। हीटवेव केवल गर्मी नहीं है, यह चेतावनी भी है-हमारे शहरों की संरचना, हमारी आर्थिक नीतियों और हमारे स्वास्थ्य सिस्टम की परीक्षा है। भारत को अब हीटवेव को 'प्राकृतिक आपदा' मान कर, उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चिंता नहीं है-यह वर्तमान की हकीकत है, और इस हकीकत से लड़ने के लिए हमें चाहिए नीति, नवाचार और न्याय।

वक्फ : बदले समय का प्रमाण

सामयिक

अवधेश कुमार

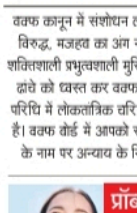

वक्फ संशोधन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं की प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। इस संशोधन के दोनों सदनों में पारित होने के अगले दिन से ही उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं जाने लगीं। एक साथ तीन तलाक, नागरिकता संशोधन कानून और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरुद्ध भी हमने यही देखा। इन सभी मामलों की न्यायिक परिणति देश के सामने है।

हमारे सामने दो दृश्य भी हैं। लोक सभा में बहस के पूर्व सभी पार्टियों ने व्हिप जारी कर दिया था। राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट घोषणा की कि सांसद स्वतंत्र हैं, व्हिप नहीं है, वे जैसे चाहें मतदान करें। इसके बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या से ज्यादा मत विधेयक के समर्थन में आए। इसके कोई निहितार्थ हैं या नहीं? दोनों सदनों में बहस और मतदान के दौरान देश में समर्थन और विरोध, दोनों में मुसलमान उतरे। उन दो दिनों में समर्थकों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं और संगठनों ने खुल कर विधेयक का समर्थन किया। इनमें वे मुस्लिम मजहबी नेता और संस्थाओं के प्रमुख भी शामिल थे जो पहले वक्फ में किसी प्रकार के संशोधन का घोर विरोध करते थे।

ऐसे विषयों पर सुधार और परिवर्तन के संवैधानिक कानूनी कदमों के विरुद्ध प्रचार और रोकने की कोशिश पहली बार नहीं है। वक्फ कानून, उससे संबंधित बोर्ड और ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण को मुस्लिम वोट पाने की नीति के तहत सुपर सरकार, सुपर प्रशासन और सुपर न्यायपालिका की भूमिका दे दी गई थी, उस ढांचे में लाभान्वितों तथा आनंद सुख भोगने वालों के अंदर छटपटाहट स्वाभाविक है। वक्फ कानून में संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए था या संशोधन में क्या असंवैधानिक, इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी है, इसका तथ्यात्मक उत्तर विपक्ष के किसी नेता द्वारा संसद में नहीं मिला। जब एक सदस्य ने कहा कि मुसलमान कानून को नहीं मानेगा तब गृह मंत्री ने कहा कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है, सबको मानना पड़ेगा। संसद द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत पारित कानून भारत के सभी क्षेत्रों और व्यक्तियों पर लागू होता है। कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने लोक सभा में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया को बहुमत के द्वारा संविधान का अतिक्रमण और लोकतंत्र का गला घोंटने के समान बता दिया।

> वक्फ कानून में संशोधन लोकतांत्रिक और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, मजहब का अंग न होते हुए भी इस्लाम के नाम पर कुछ शक्तिशाली प्रभुत्वशाली मुस्लिम पुरुषों के एकाधिकार और निरंकुश ढांचे को ध्वस्त कर वक्फ की मूल सोच के अनुरूप संविधान की परिधि में लोकतांत्रिक चरित्र में परिणत करने का प्रगतिशील कदम है। वक्फ बोर्ड में आपको सामान्य मुस्लिम शायद ही मिलेंगे। वक्फ के नाम पर अन्याय के निराकरण का रास्ता अब साफ हुआ है

लोक सभा में अमित शाह ने रिकॉर्ड रखते हुए बताया कि संप्रग सरकार ने 2013 में चार घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पास कर दिया था जबकि इस बार दोनों सदनों में करीब 27 घंटे से ज्यादा का समय लगा। वक्फ ने जिस तरह पूरे देश में संपत्तियों का दावा किया, कब्जे में लिया उसकी अनेक कथाएं रिकॉर्ड में सामने हैं। यह कैसी संवैधानिक व्यवस्था थी जिसमें वक्फ किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो

वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। ट्रिब्यूनल बरसों लगा देगा और फैसले को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते यानी आपकी संपत्ति गई। इसमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों के साथ सार्वजनिक सरकारी संपत्तियां भी शामिल हैं। गृह मंत्री ने सदन में रिकॉर्ड पर कहा कि कोई गांव या शहर से बाहर नौकरी करने चला गया और उसकी संपत्ति वक्फ कर दी गई।

वक्फ में कोई बदलाव नहीं है। किंतु हम अपनी संपत्ति वक्फ में रजिस्ट्री करा सकते हैं, दूसरे की संपत्ति पर कैसे दावा कर सकते हैं? सरकार कैसे संपत्ति वक्फ कर सकती है? यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद सच्चर आयोग की नियुक्ति और उसकी रिपोर्ट के बाद पूरे देश में अलग से इस्लामी ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक संपत्ति वक्फ बोर्डों को दी। हमारी, आपकी या किसी मंदिर की जमीन के कागजात, राजस्व आदि का विषय जिला कलेक्टर के अधीन होगा किंतु वक्फ का नहीं हो तो कैसे इसे कानून का पालन माना जाएगा? वक्फ इस्लाम का अंग है, लेकिन भारत के संविधान और कानून के तहत सरकारों द्वारा गठित वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल इस्लाम का विषय नहीं हो सकता। उसे संविधान और कानून के अंतर्गत ही काम करना होगा। कोई संपत्ति जिस उद्देश्य के लिए वक्फ हुई, उसका उपयोग उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं तथा वक्फकर्ता ने? स्वेच्छा से ऐसा किया या दवाब डाल कर कराया गया इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रशासन की है। जिस संस्था में लगभग 41 हजार विवाद हों और उनमें 10 हजार मुसलमानों द्वारा किए गए उसे कायम नहीं रखा जा सकता था।

वास्तव में वक्फ कानून में संशोधन एक लोकतांत्रिक और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, मजहब का अंग न होते हुए भी इस्लाम के नाम पर कुछ शक्तिशाली प्रभुत्वशाली मुस्लिम पुरुषों के एकाधिकार और निरंकुश ढांचे को ध्वस्त कर वक्फ की मूल सोच के अनुरूप संविधान की परिधि में लोकतांत्रिक चरित्र में परिणत करने का प्रगतिशील कदम है। ऐसे ढांचे को संसदीय व्यवस्था के तहत ध्वस्त करना, जिसको सरकारें बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए भी स्पर्श करने तक से डरती रही हों, निस्संदेह साहसिक, ऐतिहासिक और युगांतरकारी कदम है। वक्फ की संपत्ति पर इस्लाम की मान्यता के अनुसार गरीब विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा अनाथों का अधिकार है। वक्फ बोर्ड में आपको सामान्य मुस्लिम परिवार के सदस्य शायद ही मिलेंगे। अब इस दौर का अंत होगा तथा गरीब, वंचित, पसमांदा, महिलाएं सब इस्लाम की धारणा के अनुसार वक्फ के उचित उपयोग में भूमिका निभा सकेंगे। वक्फ ने पुराने मामलों के संदर्भ में बदलाव नहीं किया है लेकिन जिन पर विवाद है वे कायम रहेंगे। रिकॉर्ड में और ऑनलाइन आते ही सब पारदर्शी होगा। तो वक्फ के नाम पर हुए अन्याय के निराकरण का रास्ता प्रशस्त होगा और पीड़ितों को न्याय प्राप्त होने की ठोस संभावना बनेगी। ऐसे मामलों का सच देश के सामने होगा और इस्लाम के नाम पर हंगामा खड़ा करने वालों के चेहरे भी बेनकाब होंगे। भूमि या ऐसे मामले राज्यों के विषय हैं। तो अलग-अलग राज्यों का तंत्र सरकारों की राजनीतिक नीति के अनुसार काम करेगा और इनमें समस्याएं आएंगी। किंतु वक्फ के दावों के विरुद्ध पीड़ित को न्यायालय जाने से कोई नहीं रोक सकता। और सिविल न्यायालय में व्यक्ति की पहचान और कानून के अनुसार ही फैसला होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हायरिंग में अहमियत

- भारतीय उद्योग जगत एक फंडामेंटल रीसेट दौर से गुजर रहा है। एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनियां पांच सबसे तेजी से बढ़ते स्किल-क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कोड रिव्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्री-स्क्रिनिंग तथा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को भर्ती में अहमियत दे रही हैं
- रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर नौकरियों में जो स्किल्स (आज की तारीख में) डिमांड में हैं, उनमें करीब 64 प्रतिशत परिवर्तन आएगा।
- लिंक्डइन रिसर्च बताती है कि 25 प्रतिशत पेशेवर आवश्यक स्किल न होने के कारण भविष्य को लेकर आशंकित हैं। वहीं 60 प्रतिशत इंडस्ट्री बदलने के लिए तैयार हैं तो 39 प्रतिशत नई स्किल सीखने की योजना बना रहे हैं

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

ट्रंप की किचन कैबिनेट में दरार की खबरें हैं। एलन मस्क ने टैरिफ नीति तैयार करने वाले पीटर नवारियो का जोरदार विरोध किया है। मस्क टैरिफ लगाने के तरीके से नाराज हैं। नवारियो ने सीएनबीसी को बताया कि मस्क टैरिफ नीति का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्यों कि वे टेस्ला के लिए हिस्से-पुर्जे चीन और जापान से मंगाते हैं, जबकि इन्हें अमेरिका में ही बनाया जाना जरूरी है।

एम.के. वेणु, पत्रकार
@mkvenu1

बढ़ती गर्मी में घटता जल

मुद्दा | **पंकज चतुर्वेदी**

भारत के सबसे बड़े महानगरों में से एक मुंबई की प्यास बुझाने का दारोमदार जिन सात जलाशयों पर है, उनमें मार्च के चौथे हफ्ते में ही महज 37.67 प्रतिशत पानी बच रह गया। इन जलाशयों में फिलहाल 5 लाख 45 हजार 183 मिलियन लीटर पानी है। दावा है कि यह जल बामुश्किल मई महीने तक चल पाएगा। हर दिन 400 करोड़ लीटर पेयजल की मांग वाले इस महानगर में समय से पहली आई गर्मी ने पानी का गणित बिगाड़ दिया है। गर्मी के कारण जलाशयों में वाष्पीकरण तेज हो गया है। इसलिए जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है।

देश के दूसरे संरक्षित जलाशयों के हालात भी मुंबई से बेहतर नहीं हैं। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, देश के अधिकांश बड़े जलाशयों में पानी उनकी कुल क्षमता के मुकाबले 45% तक कम हो गया है। वहीं, मौसम विभाग ने मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी की चेतावनी दी है, तीखी गर्मी यानी जमा जल का अधिक वाष्पीकरण। सीडब्ल्यूसी के अनुसार, देश के 155 प्रमुख जलाशयों में फिलहाल 8,070 करोड़ क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी बचा है, जबकि इनकी कुल क्षमता 18,080 करोड़ क्यूबिक मीटर है। जलाशय आरक्षित जल-कुंड हैं, जो खेती-किसानी की जान होते हैं। अभूत से कल-कारखाने भी इनके पानी पर निर्भर हैं। पेयजल तो है ही। यदि इन जलाशयों में पानी पर वाष्पीकरण की चोट गहरी हुई तो जान लें कि रबी और खरीफ के बीच तीसरी फसल लेने वाले खेत खाली ही रहेंगे। यदि जलाशय खाली, नदी सूखी तो बहुत सी जल विद्युत परियोजनाओं का ठप होना भी तय है। चिलचिलाती गर्मी में बिजली की कमी बड़े स्तर पर हाहाकार का न्योता है। संकट अकेले जलाशयों का नहीं है, नदियां भी समय से पहले सूख रही हैं। नदियों का सूखना अकेले पानी की कमी ही नहीं होता, इससे समूचे पर्यावरणीय तंत्र का नुकसान होता है। जमीन की नमी कम होने से ले कर जल-जंगल के जीव तक इससे प्रभावित होते हैं, और यह समूचा तंत्र जंगलों के नुकसान का कारण बनता है।

खून से लाल बस्तर की जीवन रेखा कहलाने वाली इंद्रावती नदी फरवरी के अंतिम हफ्ते में ही मैदान बन गई। बालाघाट की बावन थड़ी नदी हो या फिर अम्बिकापुर की बांकी नदी या बदायूं की सोत नदी, हर जगह जलधर की जगह रेत का मैदान है और लगता है कि नदी वास्तव में पानी के लिए नहीं, बल्कि बालू के लिए होती है। यह बात

सीडब्ल्यूसी कह रहा है कि देश की 20 नदी घाटियों में से 14 में मौजूदा जल भंडार उनकी क्षमता के मुकाबले आधे से भी कम है। इन नदी बेसिनों में से गंगा अपनी सक्रिय क्षमता के मुकाबले मात्र 50 फीसद पर है, जबकि गोदावरी में 48, नर्मदा में 47 और कृष्णा में 34 फीसद पानी ही शेष बचा है। यह परिदृश्य भूजल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण जल योजनाएं भूजल पर ही निर्भर हैं। बढ़ती गरमी, घटती बरसात और जल संसाधनों की नैसर्गिकता से लगातार छेड़छाड़ का ही परिणाम है कि बिहार की 90 फीसद नदियों में पानी नहीं बचा। कुछ दशक पहले तक राज्य की बड़ी नदियां-कमला, बलान, फल्गू, घाघरा आदि-कई-कई धाराओं में बहती थीं जो आज नदारद हैं। झारखंड की 141 नदियों के गुम हो जाने की बात फाइलों में दर्ज हो चुकी है। राज्य की राजधानी रांची में करमा नदी देखते देखते अतिक्रमण के घेर में मर गई। हरमू और जुमार नदियां नाला बना चुकी हैं। चतरा, देवघर, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम घने जंगल वाले जिले हैं, जहां कुछ ही सालों में सात से 12 नदियों की जल धारा मर गई।

यह सवाल हमारे देश में लगभग हर तीसरे साल खड़ा हो जाता है कि 'औसत से कम' पानी बरसा या बरसेगा, अब क्या होगा? देश के 13 राज्यों के 135 जिलों की कोई दो करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि प्रत्येक दस साल में चार बार पानी के लिए त्राहि-त्राहि करती है। अभी तक तो कम बरसात की आशंका होते ही दाल, सब्जी व अन्य उत्पादों के दाम बाजार में आसमानी हो जाते थे लेकिन अब बाजार पर सबसे अधिक असर गर्मी के आंकड़ों का है। इसके बावजूद बढ़ते तापमान के साथ पानी के इस्तेमाल की हमारी आदतें नहीं सुधर रहीं। असल में हमने पानी को ले कर अपनी आदतें खराब कीं। जब कुएं से रस्सी डाल कर पानी खींचना होता था या चापाकल चला कर पानी भरना होता था तो जितनी जरूरत होती थी, उतना ही जल उलींचा जाता था। घर में टोंटी वाले नल लगने और उसके बाद बिजली या डीजल पंप से चलने वाले ट्यूबवेल लगने के बाद तो एक गिलास पानी के लिए बटन दबाते ही दो बाल्टी पानी बर्बाद करने में भी हमारी आत्मा नहीं कांपती है।

हमारी परंपरा पानी की हर बूंद को स्थानीय स्तर पर सहेजने, नदियों के प्राकृतिक मार्ग में बांध, रेत निकालने, मलबा डालने, कूड़ा मिलाने जैसी गतिविधियों से बच कर, पारंपरिक जल स्त्रोतों-तालाब, कुओं, बावड़ी आदि के हालात सुधार कर, एक महीने की बारिश के साथ साल भर के पानी की कमी से जूझने की रही है। हम भूल जाते हैं कि प्रकृति पानी हमें एक चक्र के रूप में प्रदान करती है, और इस चक्र को गतिमान बनाए रखना हमारी महती जिम्मेदारी है।

मनुष्य जीवन | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

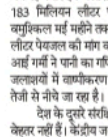

सृष्टि का मुकुटमणि कहे जाने वाले मनुष्य का गौरव इसमें है कि उसकी चेतना व्यापक क्षेत्र में

सुविस्तृत हो। शरीर और परिवार का उचित निर्वाह करते हुए भी श्रम, समय, चिंतन और साधनों का इतना अंश बचा रहता है कि उससे परमार्थ प्रयोजनों की भूमिका निबाही जाती रह सके। आत्मीयता का विस्तार होने से शरीर और कुटुम्बियों की ही तरह सभी प्राणी अपनेपन की भावश्रद्धा में बंध जाते हैं, और सबका दुःख अपना दुःख और सबका सुख अपना सुख बन जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम की विश्व परिवार की आत्मवत सर्वभूतेषु की भावनाएं बलवती होने पर मनुष्य का स्वार्थ-परमार्थ में परिणत हो जाता है। जो अपने लिए चाहा जाता था वही सब को मिल सके ऐसी आकांक्षा जगती है। जो व्यवहार, सहयोग दूसरों से अपने लिए पाने का मन रहता है, उसी को स्वयं दूसरों के लिए देने की भावना उमड़ती रहती है। लोक-मंगल की-जन-कल्याण की-सेवा साधना की इच्छाएं जगती हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति ससीम न रह कर असीम बन जाता है और उसका कार्यक्षेत्र व्यापक परिधि में सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं को पैरों तले कुचल कर फेंक देते हैं। अपनी आवश्यकताओं को घटाते हैं और निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के उपरांत अपने सत्प्रयोजनों में लगे रहते हैं। देश, धर्म, समाज, संस्कृति के उत्कर्ष के लिए किए गए प्रयत्नों में उन्हें इतना आनंद आता है, जितना स्वार्थपरायण व्यक्तियों को विपुल धन प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकता। संसार के इतिहास में-आकाश में महामानवों के जो उज्ज्वल चरित्र झिलमिला रहे हैं, वे सभी इसी आत्म-विकास के मार्ग का अवलंबन करते हुए महानता के उच्च शिखर पर पहुंचे थे। संत सुधारक, शहीद ये तीन सामाजिक जीवन के सर्वोच्च सम्मान हैं। महात्मा, देवात्मा और परमात्मा ये तीन अध्यात्म जीवन की समग्र प्रगति के परिचायक स्तर हैं। व्यक्तिवाद को समूहवाद में विकसित कर लेना विश्व शांति को आधार माना गया है। अपनेपन को हम जितने व्यापक क्षेत्र में विस्तृत कर लेते हैं, उतने ही विश्वासपूर्वक कह सकते है कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का सुनिश्चित मार्ग मिल गया।

रीडर्स मेल

विरोध करना भूली जनता

अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर अमेरिकी जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को दुबारा चुना। तीन महीने के बाद वही जनता ट्रंप व एलन मस्क का विरोध सड़कों पर कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप आनन-फानन में फैसले ले रहे हैं। टैरिफ का फैसला उनके गले की हड्डी बन रहा है। टैरिफ लागू होते ही अमेरिका में महंगाई व मंदी की मार देखी जा रही है। शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है। विदेशी वस्तुएं भी महंगी मिल रही हैं। पहले कार्यकाल में भी उन्होंने कई मनमानियों के उदाहरण दिए। स्मरणीय है कि कोरोना काल में जब भारत सरकार ने दवाएं देने में असमर्थता जताई थी तो उन्होंने धमकाते हुए परिणाम भुगतने तक की धमकी दे डाली थी। ट्रंप की नजर में दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। अमेरिकी जनता तारीफ के काबिल है कि वे खुलकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके विपरीत भारत में चाहे महंगाई बढ़े या शेयर मार्केट गिरे, अपराध बढ़ें या बेरोजगारी, जनता के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। लगता है कि जनता विरोध करना भूल गई है।

हेमा हरि उपाध्याय, 'अक्षत', उज्जैन

मुफ्तखोरी की आदत

घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। इस सूक्ति का मतलब है हम काम करते हैं, सेवाएं देते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं। एक समाचार लें। विद्युत कर्मचारी अपने घर मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। अब मीटर लगेगा। इन्हें भी और लोगों की तरह पैसे देने होंगे। अब पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि पैसे देने होंगे। विभाग में ये अपनी सेवाएं देते हैं। बदले में वेतन लेते हैं। प्रायः इसी तरह की मुफ्तखोरी पनपी है। रेलवे या रोडवेजकर्मी कहीं जाएं तो फ्री जाएं। और लोग इस तरह की सेवाएं लें तो उसका भुगतान करें। यह तो सरासर अन्याय है। इसी तरह सांसद, विधायक अपनी हनक के चलते अनेक फ्री सुविधाएं लेते हैं और जनता को अपनी सेवाएं देने के बदले सरकार से वेतन लेते हैं। उन्हें भी फ्री सुविधाएं क्यों दी जाएं। सरकार भी सख्त रुख अपना कर किसी को भी फ्री सुविधाएं देना बंद करे। स्वाभिमान भी यही कहता है कि आप किसी से वस्तु या उसकी सेवाएं लें तो उसके बदले भुगतान की आदत डालें।

सीमा गुप्ता, बरेली

आलोचना करने का सीखें सलीका

राहुल गांधी जो बात अपने भाषणों में बोलते हैं, वही कुणाल कामरा अपने पैरोडी गानों में गाली भर कर, कामेडी बता कर गाता है। राठी, रवीश, पुण्य प्रसून, अजित अंजुम अपने यूट्यूब में परोसते हैं। कामरा अपने को कलाकार बताता है, ये अपने को पत्रकार बताते हैं। राहुल के लोग, इन्डी गठबंधन के लोग मजे लेते हैं। मोदी के लोग कुढ़ते रहते हैं पर मारपीट, तोड़फोड़ नहीं करते। नफरत और घृणा से भरी हुई दुकान है इन सबकी और चलती हुई। और इन सबकी दुकान का एक्सटेंशन है कुणाल कामरा, राहुल गांधी का चंपू। पर इस बार वह उद्धव ठाकरे का चंपू बन कर शिंदे के शिकार पर लग गया और फंस गया। क्योंकि ट्रंप, मोदी, जिनपिंग या पुतिन के खिलाफ कुछ भी लिख या बोल लो, कोई नोटिस नहीं लेता। पर किसी लोकल गुंडे या नेता के खिलाफ कुछ बोल या लिख दें, तो उन के लोग आपकी नोटिस ले लेते हैं, और कुटाई कर देते हैं।

मनोज श्रीवास्तव, सुलतानपुर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 232
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा कक्ष 1209-1210, बाराखंभा रोड, न्यू दिल्ली हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. नं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 9 अप्रैल, 2025

दैनिक जागरण

परमात्मा तक पहुंचने वाली हृदय की पुकार ही प्रार्थना है

मुद्रा योजना के दस वर्ष

प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस योजना के लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित कर उनके प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने का काम किया। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि बीते दस वर्षों में पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को 32 लाख करोड़ से अधिक राशि का कर्ज दिया गया। लाभान्वित होने वाले लोगों की तरह से कर्ज के रूप में वितरित राशि भी बहुत बड़ी है। यह उत्साहजनक है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि यह योजना महिलाओं को उद्यमशील बनाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही है। इस तथ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस योजना के तहत ऋण लेने वालों में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। चूंकि इस योजना के जरिये छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि बहुत से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिला होगा और उनका पलायन भी थमा होगा। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों की सफलता की कुछ कहानियां रेखांकित कीं। इनसे अन्य लाभार्थियों को प्रेरणा मिलेगी।

मुद्रा योजना के संदर्भ में यह संतोषजनक है कि अधिकतर कर्जों की वापसी हो जा रही है। एक आंकड़े के अनुसार इस योजना के तहत दी गई कर्ज राशि का करीब तीन प्रतिशत ही एनपीए अर्थात फंसे हुए कर्ज में तब्दील हो रहा है। इसका अर्थ है कि कम राशि का कर्ज लेने वाले उसे वापस करने के प्रति कहीं अधिक तत्परता दिखाते हैं। चूंकि आज का युग वह है, जो इसकी मांग करता है कि अधिक से अधिक लोग नौकरी मांगने के बजाय नौकरियां देने में समर्थ बनें, इसलिए उचित यह होगा कि इसका आकलन किया जाए कि मुद्रा योजना के जरिये ऐसा हो पा रहा है या नहीं? केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जाना चाहिए कि इस योजना के लाभार्थी अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि बात तब बनेगी, जब वे इतने समर्थ बनेंगे कि दो-चार लोगों को रोजगार भी दे सकें। यह समय की मांग है कि कम राशि का कर्ज लेने वाले अधिक राशि का कर्ज लेने के लिए उत्साहित हों और वे उसे समय पर चुकाने में भी समर्थ हों। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे ऐसी योजनाएं चलाएं कि मुद्रा योजना के लाभार्थी अपना जो भी उद्यम चला रहे हैं, उसे वे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में परिवर्तित कर सकें। एक जिला-एक उत्पाद जैसी योजनाएं इसमें सहायक बन सकती हैं।

पुरस्कार के मायने

केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में बिहार के तीन स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया है। उद्योग के मामले में तुलनात्मक रूप से कमजोर बिहार के लिए इसे शुभ संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इस पुरस्कार ने साबित किया है कि बिहार में मेधा की कमी नहीं है। जरूरत है तो बस प्रोत्साहन और अनुकूल माहौल की। इस पुरस्कार से यह उम्मीद जगती है कि जिस तरह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार की मेधा की उपलब्धि की चर्चा होती रही है वैसी ही मेधा स्टार्टअप के क्षेत्र में भी दिखेगी। इस क्षेत्र में छोटी पूंजी से भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। बेरोजगारी को दूर करने में ये स्टार्टअप सक्षम हैं। जिन तीन स्टार्टअप को सम्मान मिला है उनमें एक ईवाय डेल्टा तकनीक से जुड़ा है। दूसरा लेडी फेयर सौंदर्य आधारित सेवा से संबंधित है, जबकि तीसरा भोजपत्ता कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। ये तीनों स्टार्टअप अपने फलक को विस्तार देकर न सिर्फ अच्छा व्यवसाय कर रहे, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ रहे। राज्य में और भी कई ऐसे स्टार्टअप हैं, जो लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका अहम योगदान होगा। राज्य सरकार भी ऐसी मेधाओं को फलने-फूलने का अनुकूल माहौल दे रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में बिहार की मेधा स्टार्टअप के क्षेत्र में देश में अपनी सशक्त पहचान बनाएगी। एक ऐसे समय में जब देश भर में विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप आकार ले रहे हैं तब बिहार में इन नवउद्यमों का फलना-फूलना एक सुखद संकेत है। इससे राज्य की प्रतिभाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देने में समक्ष हो सकेंगी और पलायन पर भी कुछ हद तक अंकुश लगेगा।

स्टार्टअप एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छोटी पूंजी से भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है

आर्थिक नहीं राजनीतिक दांव है टैरिफ

हर्ष वी. पंत

टैरिफ नीति से ट्रंप ने अपने लोगों को यही संदेश दिया है कि उनकी कथनी-करनी में भेद नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अस्थिर करने का काम किया है। चूंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा खरीदार है, इसलिए उसे वस्तुओं की बिक्री करने वाले सभी देशों पर इसका असर पड़ेगा। इसमें अमेरिका के निकट समझे जाने वाले यूरोपीय देशों तक को नहीं बख्शा गया तो प्रतिद्वंद्वी चीन पर भी टैरिफ की चाबुक चलाई गई है। ट्रंप के इस कदम को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर सबसे नाटकीय घटनाक्रम कहा जा रहा है। अमेरिका आधुनिक वैश्विक व्यापार व्यवस्था का सूत्रधार रहा है, लेकिन ताजा पहल के जरिये वह इस व्यवस्था का बंटाधार करने पर तुला है।

टैरिफ नीति देखने में भले ही आर्थिक मामलों से संबंधित लगे, लेकिन इसकी असल जड़ें राजनीति में समाई हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ही ट्रंप ने यह कहकर इसे मुद्दा बनाया हुआ था कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था असंतुलित हो गई है, जिसमें पलड़ा अमेरिका को वस्तुएं बेचने वाले देशों के पक्ष में झुका हुआ है। उन्होंने बार-बार कहा कि मौजूदा व्यापारिक परिदृश्य पर अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों का शोषण हो रहा है और वह सत्ता में आने के बाद इस व्यवस्था को बदल देंगे। टैरिफ नीति इसी एजेंडा का हिस्सा है। करीब 60 व्यापारिक साझेदारों को इस मामले में व्हाइट हाउस की ओर से निशाने पर लिया गया है। इसमें यूरोपीय संघ और चीन जैसे कई व्यापारिक साझेदारों पर अनुचित नीतियां अपनाने का आरोप लगाया गया है। टैरिफ नीति को 'आर्थिक स्वतंत्रता की उद्घोषणा' करार देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि विभिन्न देशों द्वारा ऊंचे टैरिफ एवं अन्य व्यापारिक बाधाओं के चलते ऐसी टैरिफ नीति अपरिहार्य हो गई थी। ट्रंप ने टैरिफ नीति को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन-मागा अभियान का हिस्सा बताते हुए कहा कि बीते पांच दशकों से मित्र और बैरी, दोनों तरह के देशों द्वारा अमेरिका के साथ की गई 'लूटपाट' के चलते ऐसा किया जाना बहुत जरूरी था।

टैरिफ ट्रंप का विशुद्ध राजनीतिक एजेंडा है। तमाम ऐसे द्वीपीय देश जिनका अमेरिका के साथ नगण्य व्यापार है, पर टैरिफ लगाया जाना इसी का संकेत है कि वह अपने मतदाताओं को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी कथनी एवं करनी में कोई भेद नहीं। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रंप ने तब इसके संकेत दे दिए थे, जब मेक्सिको और कनाडा जैसे पड़ोसी देशों पर टैरिफ का एलान किया।

अवधेश राजपूत

हालांकि हाल-फिलहाल उन्हें मामूली राहत दे दी गई, क्योंकि उन पर पहले से ही दबाव बना दिया था, लेकिन उन्हें छोड़कर ट्रंप ने किसी को रियायत नहीं दी। ब्रिटेन जैसे पारंपरिक साझेदार पर 10 प्रतिशत, जापान पर 24 प्रतिशत और यूरोपीय संघ पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगा है। चीन पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। बदले में चीन ने भी ऐसा ही किया तो ट्रंप अब धमकी दे रहे हैं कि यदि चीन ने यह टैरिफ नहीं हटाया तो वह उस पर 50 प्रतिशत से ऊपर टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका में चीन को अब मुख्य प्रतिद्वंद्वी समझा जाने लगा है और पूर्व राष्ट्रपति बाइडन ने भी चीन पर अंकुश लगाने के कुछ कदम उठाए थे, लेकिन चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का तोड़ निकालते हुए अपनी विनिर्माण इकाइयां वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में स्थापित कर दीं। इसे देखते हुए ट्रंप ने टैरिफ को लेकर सर्वाधिक सख्ती इन्हीं देशों पर की है।

दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश होने के नाते टैरिफ नीति पर चीन की खीझ सहज ही समझी जा सकती है। ऐसी किसी नीति से आशंकित चीन ने उससे निपटने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत कुछ समय पहले उसने यह कहकर भारत पर भी डोरे डालने का प्रयास किया कि दोनों देश साझा कोशिश से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सामान्य तौर पर वैश्विक स्थापित ढांचे और कानूनों का मखौल उड़ाने वाला चीन टैरिफ के मामले में वैश्विक व्यवस्था की दुहाई देते हुए अमेरिका से ऐसे एकतरफा फैसले को वापस लेने की अपील भी कर रहा है। आर्थिक तार्किकता के दृष्टिकोण से देखें तो टैरिफ से किसी का भला नहीं होने वाला। शायद ट्रंप प्रशासन भी यह समझता है। इसीलिए उसने कहा है कि टैरिफ वापस तो नहीं लिए जाएंगे, मगर संबंधित देश अमेरिका से वार्ता कर समाधान का प्रयास कर सकते हैं। देर-सबेर खुद अमेरिका को इसकी तपिश झेलनी पड़ सकती है। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ने के साथ ही मंदी का खतरा मंडरा रहा है। यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। शेयर बाजारों में भारी गिरावट से इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा स्थापित आपूर्ति श्रृंखला इससे चरमरा सकती है। इसका परोक्ष प्रभाव चीन की ओर झुकाव के रूप में देखने को मिल सकता है।

निःसंदेह टैरिफ नीति का भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर असर पड़ेगा। अमेरिका उन देशों में से है जिसके साथ व्यापार में भारत को लाभ होता है। इसलिए टैरिफ नीति से इस लाभ में कुछ सेंध जरूर लगेगी। हालांकि इस आपदा में भी भारत के लिए अवसर विद्यमान है, क्योंकि चीन, वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे उसके प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों पर कहीं ज्यादा टैरिफ लगा है। भारत पर अपेक्षाकृत कम 26 प्रतिशत टैरिफ लगाने के साथ ही फार्मा जैसे क्षेत्र को रियायत दी गई है। नई परिस्थितियों में भारत के लिए कपड़ा, इलेक्ट्रानिक्स और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में निर्यात के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इन अवसरों को भुनाने के लिए भारत को इन्फ्रास्ट्रक्चर, लाजिस्टिक्स, शोध एवं विकास में निवेश बढ़ाकर अपनी क्षमताएं मजबूत करनी होंगी तो भूमि एवं श्रम जैसे लंबित सुधारों को भी गति देनी होगी। टैरिफ पर भारत की संयत प्रतिक्रिया भी अमेरिका का मिजाज खराब करने वाली नहीं रही। बजट में ट्रंप प्रशासन के अनुरूप समायोजन के प्रयास और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर आरंभ हुई व्यापार वार्ता भी परस्पर विश्वास का माहौल बनाएगी। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की पैठ बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

पंथनिरपेक्षता की खिल्ली उड़ाते कानून

राजीव सचान

समुदायों में भेद करने वाले कानूनों का ही यह नतीजा है कि आज कोई सेक्युलरिज्म की बात नहीं करता

समानता के संवैधानिक सिद्धांत की अनदेखी। फाइल

यह कोई नई बात नहीं कि अब संसद से पारित प्रत्येक महत्वपूर्ण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी है। किसी को इस पर हैरानी नहीं कि वक्फ संशोधन विधेयक के कानून का रूप लेने के पहले ही उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा होने लगी थी। जैसे ही संसद से पारित इस विधेयक ने कानून का रूप लिया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी गईं। आने वाले दिनों में इन याचिकाओं की संख्या दर्जनों में पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुस्लिम संगठनों के साथ विपक्षी दलों में यह जताने की होड़ मची है कि उन्हें नया वक्फ कानून रास नहीं आ रहा है। नए वक्फ कानून की संवैधानिकता की सुप्रीम कोर्ट में परख में कोई समस्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो भी हो, यह कहना कठिन है कि यह संशोधित कानून पंथनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि किसी भी वास्तविक पंथनिरपेक्ष देश में वैसे किसी कानून के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जो पंथ के नाम पर बनाया गया हो।

नया वक्फ कानून तब पंथनिरपेक्ष कहा जा सकता है, जब ऐसे ही कानून अन्य पंथों के लिए भी बने हों। कथित सेक्युलर भारत में ऐसा नहीं है। वक्फ कानून जैसा कोई कानून अन्य पंथों और यहां तक कि शेष अल्पसंख्यक समूहों के लिए भी नहीं है। वक्फ कानून के तहत जो वक्फ बोर्ड हैं, उनके पास एक वक्फ ट्रिब्यूनल भी होता है। देश में किस्म-किस्म के अनेक ट्रिब्यूनल हैं, लेकिन वैसा ट्रिब्यूनल और कोई नहीं, जैसा वक्फ बोर्डों के पास है। एक सच्चे पंथनिरपेक्ष देश में या तो ऐसा ट्रिब्यूनल सभी समुदायों की उन संपत्तियों के संदर्भ में हो या फिर किसी के पास नहीं हो, जिनका उपयोग धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए होता है। आखिर किसी समुदाय के धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए उपयोग होने वाली संपत्ति से जुड़े किसी विवाद को पहले किसी ट्रिब्यूनल में ले जाने की बाध्यता क्यों होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि भारत तब सेक्युलर यानी पंथनिरपेक्ष बना, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान कांग्रेस को सेक्युलरिज्म के प्रति समर्पित दिखाने के लिए संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और समाजवादी शब्द नत्थी कराए। भारत तो हजारों वर्ष पहले भी सेक्युलर प्रकृति का था। इसी कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी प्रकृति का संविधान बनाया। समस्या यह हुई कि सेक्युलरिज्म की मनचाही व्याख्या करते हुए उसे वोट बैंक की राजनीति का जरिया बना लिया गया। नतीजा यह हुआ कि समान नागरिक संहिता का बिल लाने के स्थान पर हिंदू कोड बिल लाया गया। इस विधेयक के जरिये हिंदुओं के विवाह, उत्तराधिकार, तलाक, गोद लेने संबंधी कानून बनाए गए। ऐसा करके बिल्कुल ठीक किया गया, लेकिन कोई नहीं जानता कि अन्य समुदायों को क्यों छोड़ दिया गया? इसी दौरान एक अन्य कानून वक्फ संपत्तियों को लेकर भी बनाया गया। इसे ही पिछले सप्ताह संसद ने संशोधित किया।

स्वतंत्रता के बाद के दशक में ही अंग्रेजों के बनाए उस कानून को भी कुछ हेर-फेर के साथ बनाए रखा गया, जिसके तहत मंदिरों का संचालन राज्य सरकारों की ओर से किया जाता था। जब अन्य समुदायों को अपने धर्मस्थलों के संचालन का अधिकार प्राप्त है तो हिंदुओं को क्यों नहीं? यह समझ आता है कि सरकार धर्मस्थलों के संचालन को लेकर नियम-कानून बनाए, लेकिन इसके नाम पर यह नहीं होना चाहिए कि वह उनका नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। समझना कठिन है कि एक ही देश में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के संचालन के लिए दो तरह के कानून क्यों बने हुए हैं? पंथनिरपेक्षता की खिल्ली उड़ाने वाले ऐसे कानूनों के निर्माण का सिलसिला किस तरह जारी रहा, इसका एक उदाहरण शिक्षा अधिकार कानून है। इसे इस नेक इरादे से बनाया गया था कि निर्धन वर्ग के छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा सके। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों को इस कानून से बाहर करके एक अच्छे कानून को भेदभावपूर्ण तो बनाया ही गया, पंथनिरपेक्षता की खिल्ली भी उड़ाई गई। आखिर अल्पसंख्यकों की ओर से संचालित स्कूलों को गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने से छूट क्यों मिलनी चाहिए? जनकल्याण में इस भेद का औचित्य सिद्ध करना कठिन है। विडंबना यह है कि जब शिक्षा अधिकार कानून की इस विसंगति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो वह उसे नजर नहीं आई। उसने अल्पसंख्यकों के स्कूलों को शिक्षा अधिकार कानून से बाहर रखने को सही ठहराया। स्पष्ट है कि संसद से बने कई कानूनों ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों से भी पंथनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

यह देखना दयनीय है कि जब हर तरह के भेद समाप्त होने चाहिए, तब कुछ नियम-कानून ही भेदभाव का जरिया बने हुए हैं। अलग-अलग समुदायों के बीच भेद करने वाले कानूनों का दुष्परिणाम यह हुआ है कि पंथनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म आज एक हेय शब्द बन गया है। आज वे दल भी सेक्युलरिज्म की बात नहीं करते, जो खुद को सेक्युलर बताया करते थे। निःसंदेह पंथनिरपेक्षता कोई बुरी अवधारणा नहीं है, लेकिन वह तब अवश्य बुरी हो जाती है, जब उसके नाम पर एक ही देश में अलग-अलग समुदायों के लिए भिन्न-भिन्न कानून बनते हैं। यदि देश को वास्तव में सेक्युलर बनाने की कोशिश नहीं होगी तो सेक्युलरिज्म और अधिक बदनाम होगा और यह अच्छा नहीं होग।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मर्यादा और नियति

नियति के नियम मर्यादा से बंधे होते हैं। यही कारण है कि भगवान भी जब अवतार लेकर श्रीराम के रूप में मानव देह धारण करते हैं तो वह भी नियति के नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। श्रीराम चाहे तो क्या नहीं हो सकता था? जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तो भगवान राम चाहते तो मात्र उनके मस्तक पर अपनी एक अंगुली भर के स्पर्श से उन्हें जीवित कर सकते थे, परंतु नियति के अधीन रहते हुए उन्होंने अपनी विवशता दिखाई। शत्रु के खेमे से वैद्य को बुलाया गया। कितना सुंदर संदेश है इसमें। प्रथमतः यह कि जिसे जो कार्य सौंपा गया, वही उसे करने का अधिकारी है। दूसरा यह कि नीतिगत सहायता शत्रु खेमे से भी मांगी जा सकती है। तीसरा संदेश यह कि रोगी यदि शत्रु की सेना में हो, तो भी वैद्य का प्रथम कर्तव्य है रोगी की चिकित्सा करना।

श्रीराम अंतिम क्षण गिनते, मृत्यु-शैया पर पड़े रावण के पास लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजते हैं। इससे बड़ा उदात्त उदाहरण और कहां देखने को मिल सकता है? विचार कीजिए, ब्रह्मांड का ऐसा कौनसा रहस्य है जो प्रभु श्रीराम को ज्ञात न रहा हो। लक्ष्मण के किस प्रश्न का उत्तर उनके पास न होगा? जब लक्ष्मण 'विजेता के अहंकार' को तिरोहित कर ज्ञान-पिपासु की भांति याचक बन रावण की मृत्यु शैया के समीप खड़े होते हैं तो यही संदेश मिलता है कि शत्रु यदि ज्ञानी है तो शत्रुता एक ओर है और उसकी विद्वता दूसरी ओर। ज्ञानी का सम्मान हर स्थिति में होना चाहिए। युद्ध में हार के पश्चात राज्य, भूमि, धन, प्रजा, परिवार सब हाथ से जा सकता है, परंतु ज्ञान की निधि कोई छीन नहीं सकता। वस्तुतः श्रीराम का पूरा ही जीवन चरित्र ही अनुसरण योग्य है। यह मात्र एक कथा नहीं है, उत्तम जीवन जीने की नियमावली है। जिसने इसके अनुसार जीवन ढाल लिया, वह तनावों से मुक्त हो गया और उसका जीवन समग्रता में सार्थक हो गया।

ट्विंकल तोमर सिंह

जल संकट पर सोचने का वक्त

सुधीर कुमार

जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण एवं उद्योगीकरण के कारण देश में उपलब्ध जल संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है

विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 से 2027 के बीच जल आपूर्ति की कमी भारत के लिए सबसे गंभीर जोखिम के रूप में उभर सकती है। इससे पहले नीति आयोग ने चेतावनी दी थी कि देश की लगभग 60 करोड़ आबादी उच्च जल तनाव का सामना कर रही है। वास्तव में भारत गंभीर जल संकट की ओर बढ़ रहा है। देश में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी रहती है, पर केवल चार प्रतिशत जल संसाधन ही उपलब्ध हैं।

दरअसल जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण एवं उद्योगीकरण के कारण देश में जल की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे उपलब्ध जल संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले कुल भूजल का लगभग एक चौथाई हिस्सा केवल भारत में ही उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के अनियमित होने से जलस्रोत सूखते जा रहे हैं। जल के जो भंडार उपलब्ध भी हैं, वे औद्योगिक अपशिष्ट और खेतों में रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण प्रदूषित होते जा रहे हैं। ऐसे जल का सेवन न सिर्फ असमय बीमार बनाता है, बल्कि अतिरिक्त आर्थिक दबाव भी बढ़ाता है। वहीं अकुशल जल प्रबंधन, पानी को सहेजने के प्रति नागरिक बोध का अभाव और जल की निर्मम बर्बादी भी चिंतित करती है। हालांकि देश के कुछ इलाकों में जल संकट पूरे वर्ष व्याप्त रहता है, लेकिन गर्मी के आगमन के साथ यह संकट और भी गहराने लगता है। देखा जाए तो यह संकट केवल स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर कृषि, उद्योग और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। पानी से जुड़ा संकट किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकता है। जल संकट के कारण कृषि पैदावार में कमी आ सकती है, जिससे देश में खाद्य संकट गहरा सकता है। ऐसे हालात में किसानों के साथ-साथ आम नागरिकों को महंगाई और उपलब्धता संबंधी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं, औद्योगिक उत्पादन में कमी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। जल की निर्बाध आपूर्ति न होना मानसिक पीड़ा का भी कारण बन सकता है। समय पर जल उपलब्ध न होना, शुद्ध जल न मिलना तथा जल के लिए संघर्ष करना चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं। इस तरह जल किसी क्षेत्र विशेष, समुदाय या राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है।

बहरहाल जल संकट से उबरने के लिए जल संरक्षण को लेकर गंभीर होना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता बन गई है। यह जिम्मेदारी केवल उन लोगों की नहीं है, जिन्हें जल कठिनाई से मिलता है, बल्कि उन लोगों की भी है, जिन्हें जल सहजता से उपलब्ध है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को पानी की हर बूंद का मूल्य समझना होगा।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

अनावश्यक विरोध

'भाषा पर विभाजनकारी राजनीति' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में लेखक हरेंद्र प्रताप ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने के आरोपों का जवाब 'दक्षिण में हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता' के आधार पर दिया है। यह सत्य है कि भारत विविधताओं वाला देश है और इसलिए विविधता का सम्मान भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री स्टालिन का त्रिभाषा फार्मूले पर विरोध उचित नहीं है। उनका इसे अंधराष्ट्रवाद कहना तो और भी निंदनीय है। उल्लेखनीय है कि नई शिक्षा नीति बहुभाषी शिक्षा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानती है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार बेवजह विवाद को बढ़ावा दे रही है, जबकि इस नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य को किसी एक भाषा के उपयोग के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्रों को तीन भाषाओं में से दो भारतीय भाषाएं चुनने का अधिकार है, जो उनके लिए स्थानीय संदर्भ में भी प्रासंगिक है। यह विचारशीलता न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि छात्रों को भाषाई और सांस्कृतिक पहचान भी प्रदान करेगी। ऐसे में, भारत का बहुभाषी शिक्षा प्रणाली की दिशा में कदम उठाना एक सकारात्मक पहल है। इसका विरोध करने के बजाय स्टालिन को इस पर समग्रता में विचार करना चाहिए कि इससे क्या-क्या लाभ होते दिख रहे हैं।

डा. प्रदीप संघवी, लक्ष्मीबाई मार्ग झाबुआ (मप्र)

क्षेत्रवाद की राजनीति

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भाषा और परिसीमन को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तूल दे रहे हैं। यह दलों की क्षेत्रवाद की राजनीति का ज्वलंत उदाहरण है। क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्रवाद की उपेक्षा से जनहितकारी योजनाओं का लागू न होना अंततः क्षेत्र विशेष के विकास में बाधक बनता है। राजनेताओं की सत्तात्मक मानसिकता जब राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर क्षेत्रवाद को राष्ट्रवाद पर तरजीह देने लगती है तब मुख्य क्षेत्र विकास की धारा से कट जाता है। किसी राज्य द्वारा केंद्र की योजनाओं को अपने यहां लागू न होने देना, वास्तव में क्षेत्रवासियों के साथ नाइंसाफी है। यह लोकतंत्र में तानाशाही की पराकाष्ठा का जीवंत उदाहरण है। विपक्ष खुद को क्षेत्र विशेष का हिमायती बताकर अपने वोटबैंक को मजबूत करने की गलतफहमी में जी रहा है। केंद्रीय योजनाओं की अनावश्यक आलोचना और विरोध करने का उनका एकमात्र उद्देश्य स्वयं के राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि है। उनके मुगालते आगामी चुनाव में वहां की जनता दूर कर ही देगी, परंतु भय, संशय और पूर्वाग्रह का जो बीज जनमानस में विपक्ष द्वारा बोया जा रहा है वह कटुता-वैमनस्य, पारस्परिक असहयोग का विवादित वृक्ष बन जनता को दो धड़ों में बांटने का कार्य कर रहा है। जब हम अखंड, अतुल्य, अद्वितीय भारत की बात करते हैं, तब उसमें क्षेत्र विशेष की संस्कृति और भावनाओं का सम्मान करते हुए विकास की अवधारणा मूल में होती है। जड़ों से कटकर कोई वृक्ष खड़ा और बड़ा नहीं हो सकता, यह बात क्षेत्रीय दलों को समझनी चाहिए। क्षेत्रीयता का राष्ट्रीयता में परिवर्तन का संबंध जन-जन को जोड़ने से है न कि तोड़ने से। जितनी जल्दी यह बात सत्तालोलुप विपक्ष समझेगा, उतनी ही तत्परता से राष्ट्र और क्षेत्र रूपी धोड़े उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे।

मोहित सोनी, कुक्षी, मध्य प्रदेश

मेलबाक्स

भाषा पर अपनाएं समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण

भारत में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी में लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह अच्छी बात है कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन देश की राजभाषा हिंदी को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, जितना मातृभाषा को। अगर देश के हर राज्य में हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है तो यह राष्ट्रीय एकता की डोर को ओर मजबूत करने का काम भी करेगा। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से ही हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान देना जरूरी है। रही बात स्थानीय भाषाओं की तो उसका ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि इससे भावी पीढ़ी अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे अच्छी तरह जान सकती है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ मे किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित है। आप हमे पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते है।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

1997 में हुई थी बिम्सटेक की स्थापना। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। विश्व की 22 प्रतिशत आबादी इस क्षेत्र में रहती है।

आजकल

बिम्सटेक की प्रासंगिकता

गत दिनों थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एक मंच पर लाने वाले बिम्सटेक का छठा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। जिस तरह विश्व भर में व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है और टैरिफ वार चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में बिम्सटेक देशों में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। अगर सदस्य देश इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं तो इस क्षेत्र में व्यापार तथा पर्यटन को पंख लगना तय है

ब्र. सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाईएस रिसर्च फाउंडेशन आफ पालिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन

हाल में थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों-भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाइलैंड और श्रीलंका को एक मंच पर लाने वाले बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) संगठन का छठा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन के जरिये क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने की पहल के साथ बैंकाक विजन-2030 तक का रोडमैप खींचा। उन्होंने आर्थिक एकीकरण और कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए व्यापार बाधाओं को कम करने, डिजिटल व्यापार एवं ई-कामर्स का विस्तार करने पर बल दिया। साथ ही सीमा पार लेन-देन को सुव्यवस्थित करने के लिए बिम्सटेक डिजिटल व्यापार मंच की सार्थकता को भी रेखांकित किया। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के यूपीआइ को बिम्सटेक सदस्य देशों के भुगतान सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया, ताकि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी जा सके। अगर सदस्य देश इसमें दिलचस्पी दिखाते हैं तो निःसंदेह इस क्षेत्र में व्यापार, व्यवसाय और पर्यटन को पंख लगना तय है। जिस तरह दुनिया भर में व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है और टैरिफ वार चल रहा है उस परिप्रेक्ष्य में बिम्सटेक देशों में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावना अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद निरोध और समुद्री सुरक्षा पर बल देते हुए मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्सटेक (बोधि) पहल का भी एलान किया। इसका उद्देश्य हर साल युवाओं को प्रशिक्षित करना है।

वर्ष 1997 में बैंकाक घोषणापत्र के माध्यम से बिम्सटेक क्षेत्रीय संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था। यह समूह क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने से संबंधित है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह देश को तीन प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ने का न केवल अवसर देता है, बल्कि उसके महत्व को भी बढ़ावा देता है जिसमें पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत देश की सीमा के नजदीकी क्षेत्रों को प्रधानता देना शामिल है। जबकि एक्ट ईस्ट भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है। बिम्सटेक एक्ट ईस्ट के सोच को भी कुछ मजबूती दे सकता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्यांमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने जैसे विचार से युक्त है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का भरपूर अवसर प्रदान करता है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु तमाम सहयोगियों के साथ एक नया मंच भी प्रदान करता है। भारत आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन) देशों के साथ अच्छे संबंध और व्यापार की चाह से युक्त रहा है। हालांकि आसियान देशों के आधे से अधिक बाजार पर चीन का कब्जा है। इसकी काट के लिए भारत एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) में भी शामिल होना चाह रहा है। फिलहाल बिम्सटेक में हिंद महासागर में चीन के एकाधिकार को संतुलित करने का अवसर भी निहित है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को आश्वस्त किया है कि वह अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधि नहीं होने देंगे।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की मुख्य बातों में बैंकाक विजन-2030 की घोषणा प्रमुख है, जिसमें आर्थिक एकीकरण, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन और बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसके बावजूद बिम्सटेक के समक्ष चुनौतियों का अंबार भी है। सार्क की तरह ही बिम्सटेक भी द्विपक्षीय तनावों से बच नहीं पाया है। बैठकों में निरंतरता का अभाव मसलन वर्ष 2025 तक 28 वर्षों में केवल छह शिखर सम्मेलन हुए हैं। थाइलैंड तथा म्यांमार बिम्सटेक की तुलना में आसियान पर अधिक केंद्रित हैं। बांग्लादेश के साथ भारत के बिगड़े संबंध के साथ ही रोहिंग्याओं के कारण म्यांमार के साथ भी संबंधों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। इसके अलावा म्यांमार एवं थाइलैंड के मध्य सीमा विवाद चल रहा है। बिम्सटेक में मुक्त व्यापार समझौते पर 2004 में चर्चा की गई थी, पर अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। आर्थिक सहयोग पर अपर्याप्त ध्यान इस समूह की मुख्य समस्या है।

चूंकि बिम्सटेक अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, ऐसे में सदस्य राष्ट्रों को क्षेत्रीय तालमेल बनाने और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दिशा में काम करने की कहीं अधिक आवश्यकता है। घरेलू और भू-राजनीतिक कारकों की जटिलता को देखते हुए द्विपक्षीय बातचीत भी समय-समय पर करना जरूरी है। भारत को भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे भागीदारों के साथ निरंतर राजनीतिक जुड़ाव सुनिश्चित करना होगा, ताकि घरेलू राजनीति से आपसी संबंधों को प्रभावित होने से रोका जा सके। समूह के देशों को बाधा न बनकर विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर फोकस करना होगा। बिम्सटेक को भविष्य में नए क्षेत्रों जैसे कि ब्लू इकोनामी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि चुनौतियों से निपटना आसान हो और समूह के अस्तित्व को बरकरार रखा जा सके। भारत की दृष्टि से देखें तो सार्क की अप्रासंगिकता के चलते बिम्सटेक कहीं अधिक प्रभावशाली हो गया है।

आपस में सहयोग और समन्वय बढ़ाएं बिम्सटेक संगठन में शामिल देश। फाइल

टैरिफ वार के दौर में क्षेत्रीय सहयोग

अरविंद जयतिलक

मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में बिम्सटेक को प्रभावी बनाना न सिर्फ दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के हित में है, बल्कि यह क्षेत्रीय मंच समूचे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। छठे शिखर सम्मेलन में बनी सहमति को मूर्त रूप दिया जाता है तो निःसंदेह बिम्सटेक की उपादेयता बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि बिम्सटेक की स्थापना 1997 में हुई थी। यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। बिम्सटेक क्षेत्र प्राकृतिक साधनों, जनशक्ति तथा प्रतिभा से भरपूर है। विश्व की 22 प्रतिशत आबादी इस क्षेत्र में रहती है और इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 2500 अरब डालर है। अगर सदस्य देश सामंजस्य बनाकर कार्य करते हैं तो इस क्षेत्र में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी।

बिम्सटेक ने अपने हर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों का ही प्रतिफल है कि आज बिम्सटेक देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। आज बांग्लादेश भारत की सबसे गतिशील मंडियों में से एक है। भारत ने बांग्लादेश के हित के लिए कई सेक्टरों की वस्तुओं के आयात पर टैरिफ रियायतें दी हैं। इसी तरह भारत-नेपाल आर्थिक-तकनीकी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आई है। नेपाल के विकास कार्यों में सबसे अधिक धन भारत लगा रहा है। आज नेपाल के कुल पूंजी निवेश में लगभग 36 प्रतिशत पूंजी निवेश भारत करता है। बिम्सटेक के सदस्य देश भूटान की कृषि, सिंचाई, सड़क परियोजनाओं में भारत निरंतर सहयोग कर रहा है। भूटान की चुख हाइड्रोइलेक्टिक परियोजना एवं पेनडेना सीमेंट संयंत्र खोलने के लिए भारत ने बड़ी धनराशि मुहैया कराई है। भूटान के सचिवालय के निर्माण तथा पुराने मठों तथा विहारों के पुनर्निर्माण में भी भारत मदद कर रहा है। भारत उसे केरोसिन और तेल की सब्सिडी भी देता है। बिम्सटेक के अन्य सदस्य देश म्यांमार, श्रीलंका और थाइलैंड के साथ भी भारत के गहरे रिश्ते हैं। वह इन देशों के साथ कृषि, वानिकी, पर्यटन, होटल, दूरसंचार जैसे अनगिनत परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बिम्सटेक क्षेत्र में रुकावटें और चुनौतियां बनी हुई हैं जिससे बिम्सटेक को अपना लक्ष्य साधने में कठिनाई हो रही है।

बिम्सटेक क्षेत्र में आतंकवाद एक महत्वपूर्ण समस्या है। भारत के जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य आतंकियों के निशाने पर हैं। इसी तरह बांग्लादेश में आतंकी संगठन पहले से मजबूत हुए हैं। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी और नकली नोटों का प्रवाह जारी है। इसी तरह थाइलैंड, श्रीलंका और म्यांमार बाह्य और अंदरूनी आतंकवाद के अलावा जातीय संघर्षों से झुलस रहे हैं। जब तक इन अराजक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगेगी, बिम्सटेक क्षेत्र में शांति और अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिलने वाली।

बिम्सटेक के सदस्य देशों को उन आपसी मतभेदों को भी सुलझाना होगा, जो आर्थिक प्रगति की राह में बाधक बने हुए हैं। मसलन गंगा-ब्रह्मपुत्र नहर बनाने के मसले पर आज भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद ज्यों का त्यों बना हुआ है। हर वर्ष लाखों बांग्लादेशी गैर-कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करते हैं। इसे लेकर भारत बांग्लादेश से लगातार आपत्ति जताता है, लेकिन बांग्लादेश अपनी आंख बंद किए हुए है। कंटीदार बाड़ का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच विवाद का कारण है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी अब बड़ी चुनौती बन गई है। भारत-श्रीलंका के बीच भी कई मसलों पर मतभेद है। इसमें तमिल समस्या और श्रीलंका में चीन की बढ़ती भूमिका महत्वपूर्ण है। बिम्सटेक के सदस्य देशों को समझना होगा कि इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति शांति एवं सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इससे बिम्सटेक के सदस्य देशों की संप्रभुता प्रभावित होगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

खरी-खरी

नेताजी की घिबली इमेज

डा. प्रदीप मिश्र

नेताजी ने पूछा, 'क्यों घिबली का क्या मतलब होता है?' मैंने कहा, 'रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को घिबली कहते हैं।' 'और यह घिबली आर्ट क्या है?' 'इंसानों की ऊंटों जैसी फोटो को घिबली आर्ट कहते हैं।' नेताजी ने कहा, 'ऐसा कहकर तुम इंसानों का अपमान नहीं कर रहे हो?' 'नहीं, मैं ऊंटों को सम्मानित कर रहा हूं।'

'अपनी तस्वीर को घिबली तस्वीर में कैसे बदलते हैं?' नेताजी ने पूछा। मैंने कहा, 'अपनी असली तस्वीर मोबाइल में डालिए और घिबली... घिबली बोलिए और मोबाइल फटाक से आपकी घिबली फोटो बन देगा।' 'यह लो मेरी असली तस्वीर और उसको घिबली स्टाइल में बदल दो।' कहकर नेताजी ने अपनी असली तस्वीर दी। मैंने कहा, 'आपकी फोटो तो आलीशान है, लेकिन एक दिक्कत है।' 'क्या दिक्कत है?' 'दिक्कत यह है कि साइबर डकैत आपकी इस असली तस्वीर के जरिये, आपके बैंकों के एकाउंट तक पहुंचकर उसे खाली कर सकते हैं।'

'संसार भर के साइबर डकैत भी कोशिश करें, तब भी मेरे बैंक एकाउंट तक पहुंच नहीं सकते।' नेताजी ने कहा। 'क्यों नहीं पहुंच सकते?' 'इतने सालों से राजनीति में सफलतापूर्वक चमक रहा हूं। नामालूम कहां-कहां और किस-किस बैंक में मेरे खाते हैं। बंधु मैं अपने इन खातों की रक्षा करना जानता हूं। इन डकैतों की हैसियत नहीं है कि वे मेरे खातों में सेंध लगा सकें।' 'मतलब आपको अपनी असली तस्वीर से घिबली बनवाते हुए साइबर डाकुओं से कोई भय नहीं?' 'बिल्कुल नहीं।' नेताजी की निश्चिंतता देखकर मैं दंग था। मैंने पूछा, 'आपकी बेफिक्री की वजह?'

'बात यह है कि मैंने अपनी असली सूरत सातवें पाताल में छिपाकर रखी है। हर जगह मेरा नकली चेहरा और उसी की फोटुएं हैं। राजनीति, सत्ता, समाज सेवा, षड्यंत्र, बैंक...सभी में मेरा नकली चेहरा ही दिखता है। जब असली चेहरे की फोटो कहीं लगाई ही नहीं है, तो उसके जरिये कोई मेरे एकाउंट तक पहुंचेगा कैसे? तुम बेखौफ मेरी घिबली तस्वीर बनाओ। कोई खतरा नहीं।'

X पोस्ट

मोहम्मद सिराज उन क्रिकेटरों में से हैं जो खुद पर कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत अब रंग भी ला रही है।
हर्षा भोगले@bhogleharsha

महिलाओं के साथ छेड़खानी को लेकर कर्नाटक के गृहमंत्री ने कहा कि बड़े शहरों में अक्सर ऐसा होता रहता है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति का यह कहना ही बहुत कुछ कह देता है। संकेत उपाध्याय@sanket

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाकर दुनिया पर आर्थिक आपदा ला दी है। शेयर बाजार में भारी गिरावट हो रही है। खुद अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। भारत के पास इस आपदा में अवसर है कि निर्यात बढ़ाए, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले भारत पर टैरिफ दर कम है।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

हाल में बने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने की होड़ लगी है। कोई भी विपक्षी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता, ताकि सनद रहे कि वे न केवल संसद में, बल्कि अदालत में भी इसके खिलाफ हैं।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

हरियाणा डायरी

गन कल्चर का सफाया आवश्यक

अनुराग अग्रवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा

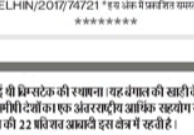

कुछ ही साल पुरानी बात है, जब न केवल हरियाणा, बल्कि समूचे उत्तर भारत के विवाह समारोहों में पंजाब के कलाकारों के गाने बजा करते थे। धीरे-धीरे हरियाणवी कलाकारों ने खूब मेहनत की और अब कोई विवाह समारोह ऐसा नहीं होता, जिसमें हरियाणवी कलाकारों के गाये गाने नहीं बजते। हरियाणा के कलाकारों की मेहनत से राज्य की म्युजिक इंडस्ट्री काफी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई। बालीवुड में भी हरियाणवी कलाकारों के नाम का जबरदस्त डंका बजा। सबसे बड़ा खतरा भोजपुरी म्युजिक इंडस्ट्री के सामने खड़ा हो गया, जब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में भी हरियाणवी कलाकारों एवं उनके गानों की मांग होने लगी। कहते हैं कि सफलता थोड़े दिन में ही सिर चढ़कर बोलने लगती है। हरियाणवी म्युजिक इंडस्ट्री के गानों में धीरे-धीरे गन कल्चर शामिल हो गई। शराब और हथियारों के फिल्मांकन के साथ खूब गाने आने लगे। फिर हरियाणा सरकार ने गन कल्चर को प्रोत्साहित करने वाले इन गानों के एकाएक बढ़ते प्रचलन पर कड़ा संज्ञान लिया और ऐसे सभी गानों को इंटरनेट मीडिया खासकर यू-ट्यूब पर प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। यहीं से राज्य के कलाकारों में गुटबंदी चालू हो गई, जो अब पूरे मुकाम पर है।

हरियाणा की म्युजिक इंडस्ट्री का कभी यह ट्रेंड नहीं रहा कि गानों में अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दिया जाए। पंजाब की म्युजिक इंडस्ट्री में यह ट्रेंड जरूर देखा गया था। धीरे-धीरे हरियाणा के गायकों ने भी पंजाब की म्युजिक इंडस्ट्री के इस ट्रेंड को अपने गानों में शामिल कर लिया तो राज्य सरकार को नई पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की चिंता सताने लगी। फिर राज्य सरकार की ओर से ऐसे सभी गानों को चिह्नित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। करीब 100 गानों की लिस्ट तैयार हुई, जिनमें खुले रूप से गन कल्चर को प्रोत्साहित करते दिखाया गया है।

गानों में बंदूक का क्या काम। प्रतीकात्मक

हरियाणा की म्युजिक इंडस्ट्री में लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों का बहुत महत्व है। हरियाणा के लोक संगीत में कई शैलियां हैं, जैसे गायन, झूलना, पटका और रसिया। हरियाणा के शास्त्रीय संगीत का आधार भारतीय शास्त्रीय संगीत ही है। हरियाणा के लोक संगीत में बारा मसा बहुत प्रसिद्ध है। यह साल के बारह महीनों के लिए गीत है और उत्तर भारतीय क्षेत्र में लगभग हर जगह गाया जाता है।

हरियाणा के शास्त्रीय संगीत में पौराणिक कथाओं के गीत भी शामिल हैं, जैसे-'अल्लाह', 'जयमल', 'फट्टा', 'बरहमास', 'तीज' गीत, 'फग' और 'होली' गीत। मौजूदा नए गानों में जब यह फील नजर नहीं आई और गन कल्चर बहुत अधिक दिखाई देने लगी तो राज्य की साइबर क्राइम पुलिस ने धीरे-धीरे इंटरनेट मीडिया से इन गानों को हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी। पिछले सप्ताह ही साइबर क्राइम पुलिस ने पांच नए गानों को इंटरनेट मीडिया से हटाया है। इससे पहले 10 गानों को इंटरनेट मीडिया से हटाया जा चुका है। कुछ गायकों ने तो स्वयं ही अपने गानों को इंटरनेट मीडिया से हटाने की बड़ी पहल की है। साइबर क्राइम पुलिस इन गानों को इंटरनेट मीडिया से हटाने की कार्रवाई उस स्थिति में अंजाम दे रही है, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल पर्यटन मंत्री डा. अरविंद शर्मा और सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ऐसे गानों को इंटरनेट मीडिया से नहीं हटाए जाने का अनुरोध विधानसभा में कर चुके हैं। हालांकि दोनों मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि वे गन कल्चर के हक में बिल्कुल भी नहीं हैं।

साइबर क्राइम पुलिस ने सबसे अधिक गाने जींद जिले के ब्राह्मणवास गांव के रहने वाले मासूम शर्मा के हटाए हैं। इसको लेकर हाल में मासूम शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद भी मासूम शर्मा के गाने इंटरनेट मीडिया से हटाए गए हैं। मासूम शर्मा ने सरकार की इस कार्रवाई पर कहा है कि यदि ऐसा ही रवैया चलता रहा तो एक दिन युवा अश्लीलता से भरपूर दूसरे राज्यों के गानों को सुनने की तरफ मुड़ जाएंगे। उनका इशारा भोजपुरी गानों की तरफ था, लेकिन सीएम के ओएसडी पब्लिसिटी रहे गजेंद्र सिंह फोगाट, जो कि स्वयं गायक हैं, उनके गाने भी जब इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंधित होने चालू हुए तो कलाकारों को लगा कि सरकार का इरादा दुर्भावना से प्रेरित न होकर समाज को सही रास्ते पर ले जाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। जिन कलाकारों के गानों को यूट्यूब (इंटरनेट मीडिया) से हटाया गया है, उनमें मासूम शर्मा, सुमित पारता, अमित सैनी रोहतकिया, हर्ष संधु, राज मावर और गजेंद्र फोगाट शामिल हैं। दो गीतों में हरियाणवी कलाकार प्रांजल दहिया ने एक्टिंग की है।

हरियाणवी म्युजिक इंडस्ट्री के इस पूरे विवाद को लोक गायक मासूम शर्मा तथा सीएम के ओएसडी पब्लिसिटी रहे गजेंद्र फोगाट के बीच आपसी टशन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब तक प्रतिबंधित हुए 16 गानों में सबसे ज्यादा नौ गाने मासूम शर्मा के हैं। मासूम शर्मा को शक है कि उनके ये गाने गजेंद्र फोगाट हटवा रहे हैं, जबकि गजेंद्र फोगाट का कहना है कि यह सरकार की पालिसी के आधार पर लिया गया निर्णय है। हरियाणवी कलाकारों को राज्य की संस्कृति, खानपान और पहनावे के साथ लोकाचार बढ़ाने वाले गाने लिखने, गाने और फिल्माने चाहिए। गन कल्चर को गानों में दिखाकर कोई कलाकार समाज का भला कैसे कर सकता है।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट मंदी का संकेत है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पीएम मुद्रा योजना अपने लक्ष्यों में सफल साबित हुई है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गाली सुन-सुन पक गए अब तो दोनों कर्ण,
किस नदिया में कूद कर दे दें जान स्वर्ण।
दे दें जान स्वर्ण बताओ राहुल भाई,
दे दो विष का घूंट खत्म हो जाय लड़ाई!
लगती मेहनत-बुद्धि तभी जुटती है थाली,
पर खाने को रोज मिले थाली पर गाली!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

सामाजिक बदलाव का आधार

बिहार में शराबबंदी का निर्णय महज एक नैतिक फैसला भर नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का बड़ा आधार भी साबित हो रहा है

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

'प्रोहिबिशन एट एनी कास्ट' नाम से प्रकाशित एक पुस्तिका में महात्मा गांधी के एक अहम उद्धरण का हवाला दिया गया है। उसमें गांधी जी कहते हैं, 'अगर मुझे पूरे भारत का एक दिन के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो जो एक चीज मैं करूंगा वह यह कि देश की तमाम शराब की दुकानों को बिना कोई मुआवजा दिए बंद कर दूंगा और ताड़ के तमाम पेड़ नष्ट कर दूंगा।' डा. आंबेडकर ने भी शराबबंदी को लेकर तकरीबन ऐसी ही राय रखी थी। 1956 में जब वह बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे तो उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में से एक यह थी कि वह आजीवन शराब और नशे का सेवन नहीं करेंगे। हमारे संविधान में भी नशाबंदी पर जोर है। संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य को मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना चाहिए। लिहाजा इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय राजस्व हानि जैसे तर्क विकास की कसौटी को सामाजिकता और नैतिकता से पूरी तरह काट देते हैं।

बीते एक दशक में देश में सुशासन और विकास की बात जरूर आगे बढ़ी है, पर इस दौरान कुछ बड़े नैतिक सरोकारों को लेकर बात अपेक्षित तरीके से नहीं हुई है। ऐसे में यह देखना खासा दिलचस्प है कि शराबबंदी के नैतिक तकाजे के साथ सुशासन का माडल खड़ा करने का जोखिम ज्यादा बड़ा है या फिर उससे होने वाला सामाजिक परिवर्तन। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें बिहार को सामने रखकर बात करनी होगी, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश आज दिल्ली तक महसूस की जा रही है। वहां इस वर्ष होने वाले चुनाव में मिथिला में माता जानकी का मंदिर और वक्फ संशोधन कानून भले तात्कालिक मुद्दे हों, पर उससे बड़ा मुद्दा है शराबबंदी। कई सियासी जमात इस बात का खुला एलान कर रहे हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो शराबबंदी खत्म होगी।

गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के नौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन वर्षों में बिहार की राजनीति ने अस्मितावादी विमर्श के जमीनी हश्र को कई रूपों में देखा है, पर इन सबके बीच शराबबंदी का फैसला ऐसा है, जो राजनीतिक नफा-नुकसान को छोड़ इस निर्णय को लेने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नैतिक साहस को अहमियत देता है। शराबबंदी का फैसला नैतिक तो है ही, यह परिवार और समाज के लिए किस तरह जरूरी है, इसे गहराई से समझने की दरकार है। गांधी जी ने जब शराब को शैतान की खोज कहा तो उनके सामने ऐसे ही कुछ अनुभव थे। 1917 में वह चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में झारखंड (तब बिहार) के कुछ हिस्सों में आदिवासी समुदायों से मिल रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि शराब के सेवन के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति जहां खासी दुर्बल है, वहीं इस कारण खासतौर पर महिलाओं को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। गांधी जी के शराब छोड़ने के आग्रह पर तब उस पूरे क्षेत्र में एक जागृति आई और कुछ आदिवासी समुदायों ने तो खुद आगे बढ़कर शराब का सेवन न करने का प्रण लिया। गांधी जी के अनुभव और विचार को समग्रता के साथ देखें तो वह साफ कह रहे हैं कि महिला सशक्तीकरण के लिए शराबबंदी पहली शर्त है।

नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी का फैसला अप्रैल 2016 में जरूर लिया, पर इससे पहले भी वह महिला सशक्तीकरण के लिहाज से कई बड़े फैसले ले चुके थे। 2006 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया तब ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य था। 2006 में ही बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसी तरह वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला। इन फैसलों से प्रदेश में महिलाओं में बढ़े आत्मविश्वास का नतीजा है कि बिहार आज सबसे ज्यादा 10.81 लाख स्वयं सहायता समूह बनाकर देश में पहले स्थान पर है। इससे प्रदेश में 1.35 करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। बात करें पूरे देश की तो 1960 में तत्कालीन बांबे से अलग होकर जब गुजरात बना, तभी से वहां शराबबंदी है। इसी तरह पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी शराबबंदी है। अलबत्ता मणिपुर से लेकर हरियाणा तक ऐसे कई राज्य भी हैं, जो इस बड़े फैसले पर कायम नहीं रह सके। आज जब भारत एक साफ्ट पावर के तौर पर दुनिया में अपनी चमक बिखेर रहा है तो इस नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य-निष्ठा पर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। आखिरकार शराबबंदी का फैसला महज एक नैतिक फैसला भर नहीं, बल्कि यह सामाजिक बदलाव का बड़ा आधार भी है।

महिला सशक्तीकरण के लिए शराबबंदी भी जरूरी। फाइल

****